



भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग, अहमदाबाद
निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)

आरबीआई/अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय/निर्गम/2/25-26/ईटी/884

भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2028 अर्थात्, दो वित्तीय वर्षों के अवधि के लिए प्रतिष्ठित और अनुभवी परिवहन ठेकेदारों (कम से कम 3 वर्षों के अनुभव के साथ) से 'सिक्कों के परिवहन के लिए पूरी तरह से कवर किए गए बंद कैश वैन/बंद वाहनों की पर्याप्त संख्या की आपूर्ति' के लिए दो बोली प्रणाली (तकनीकी और मूल्य बोली) के तहत एक ई-निविदा आमंत्रित है।

इच्छुक और पात्र कंपनियां/फर्म भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx और एमएसटीसी की वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> से निविदा फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। निविदा की समयसीमा निम्नानुसार है:

एमएसटीसी/आरबीआई की वेबसाइट पर ई-टेंडर देखने, डाउनलोड करने की तिथि	30 जनवरी, 2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे
प्री-बिड मीटिंग	20 फरवरी, 2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे
बोली शुरू होने की तिथि	24 फरवरी, 2026 पूर्वाह्न 10:00 बजे
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	5 मार्च, 2026 अपराह्न 05:00 बजे तक
बोली बंद होने की तिथि	6 मार्च, 2026 पूर्वाह्न 10:00 बजे
भाग-I (तकनीकी बोली) के खुलने की तिथि और समय	6 मार्च, 2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे

यदि उपरोक्त में उल्लिखित किसी भी तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित उद्देश्य के लिए अगला कार्यदिवस प्रभावी होगा।

सभी इच्छुक कंपनियों/एजेंसियों/फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा। कृपया यह भी ध्यान दें कि आगे परिशिष्ट/शुद्धिपत्र केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

क्षेत्रीय निदेशक
गुजरात, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली



भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग अहमदाबाद

“सिक्कों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में पूरी तरह से ढकी हुई बंद कैश वैन/कंटेनर ट्रकों/वाहनों की आपूर्ति”
के लिए ई-निविदा

आरबीआई/अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय/निर्गम/2/25-26/ईटी/884

तकनीकी-वाणिज्यिक बोली

बोलीदाता का नाम:.....

पता:.....

टेलीफोन नंबर:.....

ईमेल पता:.....

भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग
गांधी ब्रिज के पास, आश्रम रोड अहमदाबाद – 380014
भारत

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, अहमदाबाद ने इच्छुक पार्टियों को काम की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने यहां निहित जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे सही मानते हैं, न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी और न ही उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार में से कोई वारंटी देते हैं या इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या कोई अन्य जानकारी जो इसके साथ उपलब्ध कराई जा सकती है, की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई अभ्यावेदन, व्यक्त या निहित नहीं करते हैं।

इसका यह आशय नहीं है कि जानकारी पूर्ण है। इच्छुक पार्टियों से अपेक्षित है कि वे अपनी स्वयं की पूछताछ कर लें और और उत्तरदाताओं से अपेक्षित होगा कि वे लिखित रूप में पुष्टि करें कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा प्रस्तुत करने में केवल आरबीआई, अहमदाबाद द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा नहीं करते हैं। यह सूचना इस आधार पर दी जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक निविदा के साथ आगे न बढ़ने या निविदा के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज़ में परिलक्षित समय सारणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

विषय-सूची सारणी

दस्तावेज़ में खंडों का विवरण	पृष्ठ
खंड I - निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)	5
खंड II - निविदा की अनुसूची (एसओटी)	6-7
खंड III - ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	8-12
खंड IV - निविदा का प्रपत्र	13-15
खंड V - बोलीदाताओं को निर्देश (सामान्य और विशेष शर्तों सहित)	16-32
खंड VI - Part I – तकनीकी बोली प्रपत्र	33-35
खंड VII - दस्तावेजों की सूची	36-37
खंड VIII - भाग- I का मूल्यांकन (तकनीकी बोली)	38
खंड X - भाग II - मूल्य बोली	39
अनुलग्नक क – दस्तावेजों का प्रारूप	40-48



भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग, अहमदाबाद
खंड I
निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)

आरबीआई/अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय/निर्गम/2/25-26/ईटी/884

भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2028 अर्थात, दो वित्तीय वर्षों के लिए की अवधि के लिए प्रतिष्ठित और अनुभवी परिवहन ठेकेदारों (कम से कम 3 वर्षों के अनुभव के साथ) से 'सिक्कों के परिवहन के लिए पूरी तरह से कवर किए गए बंद कैश वैन/बंद वाहनों की पर्याप्त संख्या की आपूर्ति' के लिए दो बोली प्रणाली (तकनीकी और मूल्य बोली) के तहत एक ई-निविदा आमंत्रित है।

इच्छुक और पात्र कंपनियां/फर्म भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx और एमएसटीसी की वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> से निविदा फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। निविदा की समयसीमा निम्नानुसार है:

एमएसटीसी/आरबीआई की वेबसाइट पर ई-टेंडर देखने, डाउनलोड करने की तिथि	30 जनवरी, 2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे
प्री-बिड मीटिंग	20 फरवरी, 2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे
बोली शुरू होने की तिथि	24 फरवरी, 2026 पूर्वाह्न 10:00 बजे
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	5 मार्च, 2026 अपराह्न 05:00 बजे तक
बोली बंद होने की तिथि	6 मार्च, 2026 पूर्वाह्न 10:00 बजे
भाग- I (तकनीकी बोली) के खुलने की तिथि और समय	6 मार्च, 2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे

यदि उपरोक्त में उल्लिखित किसी भी तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित उद्देश्य के लिए अगला कार्यदिवस प्रभावी होगा।

सभी इच्छुक कंपनियों/एजेंसियों/फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा। कृपया यह भी ध्यान दें कि आगे परिशिष्ट/शुद्धिपत्र केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

क्षेत्रीय निदेशक
गुजरात, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली

खंड II
निविदा अनुसूची (एसओटी)

1.	ई-निविदा सं.	आरबीआई/अहमदाबादक्षेत्रीयकार्यालय/निर्गम/2/25-26/ईटी/884
2.	कार्यों का विवरण	"सिक्कों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या (न्यूनतम पांच) में पूरी तरह से ढकी हुई बंद कैश वैन/कंटेनर ट्रकों/वाहनों की आपूर्ति"
3.	निविदा का तरीका	एमएसटीसी ई-कॉमर्स साइट पर ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (www.mstcecommerce.com/eprocn) (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - वित्तीय बोली)
4.	अनुबंध की अवधि	(01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2028) यह अवधि अनुबंध की शर्तों में संशोधन के साथ/संशोधन के बिना एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, जैसाकि पारस्परिक रूप से सहमति हो।
4.	कार्य / अनुबंध मूल्य का अनुमानित मूल्य	01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2028 तक दो साल की अवधि के लिए प्रतिवर्ष जीएसटी सहित ₹49,00,000 (केवल उनचास लाख रुपये), यह ध्यान दिया जाए कि काम का वास्तविक मूल्य भिन्न हो सकता है।
5.	पार्टियों के लिए डाउनलोड करने के लिए एनआईटी उपलब्ध होने की तिथि	30 जनवरी, 2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे
6.	लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी पोर्टल पर यथालागू
7.	बयाना जमाराशि (निविदा मूल्य का 2%)	एनईएफटी के रूप में ₹98,000 (अठ्ठानबे हजार रुपये मात्र) का ईएमडी। ईएमडी के बिना प्राप्त ऐसी किसी भी बोली को गैर-वास्तविक माना जाएगा और निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से अस्वीकार कर दिया जाएगा। नाम - भारतीय रिजर्व बैंक अहमदाबाद खाता संख्या: 186003001 IFSC: RBIS0AHPA01 (पांचवां और दसवां अंक शून्य (0) के रूप में पढ़ा जा सकता है) (ईएमडी) पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
8.	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	5 मार्च, 2026 अपराह्न 05:00 बजे तक

9.	जमानत राशि/निष्पादन बैंक गारंटी (मनोनीत ठेकेदार पर लागू)	भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में ₹2,00,00,000 (केवल दो करोड़ रुपये) की राशि के लिए निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)/ सुरक्षा जमा अधिसूचना जारी होने के 10 दिनों के भीतर जमा की जाएगी। सुरक्षा जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
10.	ऑफ-लाइन बोली पूर्व बैठक का निर्धारित समय (optional)	20 फरवरी, 2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे (यह बैठक अहमदाबाद में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन की 2(दूसरे) मंजिल पर बैठक कक्ष में आयोजित की जाएगी। बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त स्थान और तिथि और समय पर उपस्थित रहें।)

11.	(www.mstcecommerce.com/eprocn) पर ऑनलाइन तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	24 फरवरी, 2026 पूर्वाह्न 10:00 बजे
12.	तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तिथि	6 मार्च, 2026 पूर्वाह्न 10:00 बजे
13.	तकनीकी बोली खोलने का समय	6 मार्च, 2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे
14.	वित्तीय बोली खोलने का समय	भाग- II अर्थात मूल्य बोली केवल उन निविदाकर्ताओं के संबंध में खोली जाएगी जिनकी भाग- I यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली बैंक द्वारा स्वीकार्य पाई गई है। ऐसे निविदाकर्ता (ओं) को भाग- II मूल्य बोली खोलने की तारीख को उनके द्वारा पुष्टि की गई ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

खंड III
एमएसटीसी पोर्टल पर ई-खरीद के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह एमएसटीसी लिमिटेड का एक ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। आपसे अनुरोध है कि अपना ऑनलाइन टेंडर जमा करने से पहले इस टेंडर के नियमों और शर्तों को पढ़ लें। जो बोलीदाता दस्तावेजी प्रमाण (जहां भी आवश्यक हो) के साथ शर्तों का पालन नहीं करते हैं, वे मूल्य बोली खोलने के लिए निविदा में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे।

1. ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया

पंजीकरण: -

इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ इंटरनेट पर मूल्य बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। विक्रेता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: मूल्य बोली और वाणिज्यिक बोली निम्नलिखित साइट पर ऑनलाइन जमा की जानी है-
www.mstcecommerce.com/eprocn/ (Version 3)

विक्रेताओं से अपेक्षित है कि वे www.mstcecommerce.com/eprocn पर स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत करें

विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें -- विवरण भरें और स्वयं की उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएं, सबमिट करें।

अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड/वीडियो/पंजीकरण पर जाएं, विक्रेताओं को उनके उस ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो उन्होंने पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एमएसटीसी/आरबीआई से संपर्क करें, (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी):

1. मेघा सिन्हा, डीएम

megha@mstcindia.co.in

Ph-0265-2960354/2960379/2960385

2. मारुत साहा, प्रबंधक

V adpn3@mstcindia.co.in

Ph-0265 2960354/2960379/2960385

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई):

1. D दिलीप बी.एस. राठौर, समग्र

drathore@rbi.org.in

079-27548203


2. सारंग सालुंके, सग्र

svsalunke@rbi.org.in

079-27548212

सिस्टम की आवश्यकता: -

- i) विवरण के लिए, विक्रेता <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/> पर डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड देख सकते हैं।



2. (A) भाग-I तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एनआईटी में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी। बोलीदाता बोली को इलेक्ट्रॉनिक रूप में खोलते हुए देख सकते हैं।

(B) केवल उन्हीं बोलीदाताओं की भाग-II मूल्य बोली इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी जिनकी भाग-I तकनीकी वाणिज्यिक बोली भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य पाई गई है। ऐसे बोलीदाताओं (बोलीदाताओं) को उनके द्वारा पुष्टि की गई वैध ई-मेल के माध्यम से भाग-II मूल्य बोली खोलने की तारीख की सूचना दी जाएगी।

नोट: निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सर्वोत्तम संभव दरों की पेशकश करें। आम तौर पर कोई मौल-भाव नहीं होगा। इसलिए कृपया मूल्य बोली जमा करते समय अपनी सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतें जमा करें। तथापि, यदि मौजूदा बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम दर उचित प्रतीत होती है, तो आदेश सबसे कम बोली लगाने वाले को दिया जा सकता है और यदि दर को अभी भी अधिक माना जाता है, तो प्रचलित अनुदेश/दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

3. निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।

4. विक्रेताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए बोली लगाने के लिए दस्तावेज़ संलग्न करें लिंक का उपयोग करें। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 4 एमबी है। अधिक सहायता के लिए, कृपया विक्रेता गाइड के निर्देशों का पालन करें। लेन-देन शुल्क के बारे में विशेष नोट: विक्रेता लॉगिन में "माई मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। विक्रेताओं को ईवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता के पास एनईएफटी/आरटीजीएस या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी/आरटीजीएस का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। विक्रेता चालान में बदलाव किए बिना चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में भुगतान जमा होने के बाद लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा, और विक्रेता को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। **लेनदेन शुल्क वापस नहीं लौटाया जाएगा।** विक्रेता के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच नहीं होगी।

नोट - बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ईवेंट के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क को अग्रिम

	रूप से जमा कर दें ताकि बोली जमा करने के लिए स्वयं को पर्याप्त समय मिल सके।
5.	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निविदा को अंतिम रूप दिए जाने तक प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता (बोलीदाताओं) को सभी नोटिस और पत्राचार केवल ई-मेल द्वारा भेजे जाएंगे। इसलिए बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके द्वारा प्रदान की गई कॉर्पोरेट ई-मेल आईडी वैध है और एमएसटीसी (अर्थात सेवा प्रदाता) के साथ विक्रेता के पंजीकरण के चरण में अद्यतन की गई है। बोलीदाताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता सुनिश्चित करें।
6.	<p>(i) कृपया ध्यान दें कि एनआईटी में उल्लिखित वेबसाइट से निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने वाले पक्षों को सूची निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार, बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे निविदा खोलने की नियत तारीख से पहले एक बार फिर वेबसाइट देखें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्होंने निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के बाद उक्त निविदा के लिए अपलोड किए गए किसी भी शुद्धिपत्र को याद नहीं किया है। संबंधित शुद्धिपत्र को डाउनलोड करने की जिम्मेदारी, यदि कोई हो, डाउनलोडिंग पार्टियों की होगी।</p> <p>(ii) इस एनआईटी के शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) के संबंध में कोई अलग सूचना निविदाकर्ताओं (ओं) को नहीं भेजी जाएगी जिन्होंने वेबसाइट से दस्तावेज डाउनलोड किए हैं। कृपया एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi देखें।</p>
7.	एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है।
8.	<p>ई-टेंडर में बोली लगाना:</p> <p>(a) बोलीदाताओं को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक ईएमडी (एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से) जमा करने की आवश्यकता है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) के ईएमडी को कार्य सौंपे जाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद द्वारा वापस कर दिया जाएगा।</p> <p>(b) इस प्रक्रिया में तकनीकी वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।</p> <p>जिन बोलीदाताओं ने उपर्युक्त शुल्क जमा कर दिया है, वे एमएसटीसी की वेबसाइट में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी वाणिज्यिक बोलियां और मूल्य बोली ही प्रस्तुत कर सकते हैं www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → नया सामान्य पोर्टल → बिड फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन → लेनदेन शुल्क → सामान्य शर्तें → दस्तावेज संलग्न करें → मूल्य बोली।</p> <p>कृपया ध्यान दें: विक्रेता लेनदेन शुल्क और ईएमडी विवरण के सफल प्रेषण के बाद, अपने लॉगिन में संलग्न दस्तावेज और सामान्य शब्द टैब सक्षम करेगा। इस चरण के सफल समापन के बाद, विक्रेताओं को लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और पोर्टल के माध्यम से लॉट के लिए अपनी मूल्य बोली जमा करने या मूल्य बोलियां जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल को डाउनलोड और अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। यदि अटैच किए गए दस्तावेज और/या सामान्य शर्तों को सहेजने का चरण असफल रहता है, तो लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और मूल्य बोली जमा करने के लिए टैब अक्षम कर दिया जाएगा। सफल/लंबित बोली की स्थिति बोली स्थिति बटन में प्रदर्शित की जाएगी।</p> <p>(c) सबसे पहले, विक्रेता को वाणिज्यिक विनिर्देश, यदि कोई हो, भरना होगा और इसे सहेजना होगा। फिर विक्रेता को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरनी चाहिए। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। ऐसा करने के बाद,</p>

मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरना पड़ता है और फिर बोली लगाने वाले को अपनी मूल्य बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करना चाहिए। फिर तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली दोनों को सहेज लेने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

नोट: - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद "बोली हटाएं" विकल्प दिखाया जाएगा। यदि विक्रेता अंतिम सबमिशन के बाद बोली को हटाना चाहता है और बोली को फिर से जमा करना चाहता है, तो उसे बोली हटाएं पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए।

(d) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

(e) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए और अन्य सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।

(f) ई-टेंडर का काम पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।

(g) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति/कार्य के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बनाएगी। ऐसे सफल निविदाकर्ता को इसके बाद **आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार कहा जाएगा।**

(h) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(i) क्रेता के पास बिना कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी मामला हो।

(j) ई-निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-टेंडर में बोली जमा करना ई-टेंडर के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।

(k) माप की इकाई (यूओएम) ई-निविदा प्लोर में दर्शाई गई है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-निविदा मंजिल/निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।

9. इस खुली ई-निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा।

10. तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं है।

11. ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद, बोलीदाता डिजिटल हस्ताक्षर के साथ बोली जमा करने के बाद निविदा को एक्सेस नहीं कर सकता है।

12. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को रद्द करने या बोली प्राप्त करने की नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार है।

13. ऑनलाइन निविदा एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi में निर्धारित नियमों और शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुसार ही प्रस्तुत की जानी चाहिए।

14. बोलीदाताओं को एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अपलोड किए गए किसी भी अन्य दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा जो एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक नहीं है।

15.	बोली का मूल्यांकन भरे हुए तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों के आधार पर किया जाएगा
16.	बोलीदाताओं द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि जांच के दौरान बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है, तो चूककर्ता बोलीदाता (बोलीदाताओं) का ईएमडी जप्त कर लिया जाएगा। चूककर्ता बोलीदाताओं के विरुद्ध निलंबन और कारोबार पर प्रतिबंध सहित दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

खंड IV निविदा का प्रपत्र

स्थान _____ तारीख _____

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक,
गांधी ब्रिज के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद -
380014

महोदय,

हमने निविदा दस्तावेज आरबीआई/अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय/निर्गम/2/25-26/ईटी/884 में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, अनुदेशों और शर्तों की सावधानीपूर्वक जांच की है और निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल का दौरा किया है और जांच की है और संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त की है जो निविदा को प्रभावित कर सकती है। मैं/हम एतद्वारा निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट कार्यों को निर्दिष्ट समय के भीतर और भाग II (मूल्य बोली) में उल्लिखित दरों पर और विनिर्देशों, निर्देशों और शर्तों में संदर्भित विनिर्देशों और निर्देशों के साथ सभी मामलों में और अन्य सभी मामलों में, ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकते हैं, निष्पादित करने की पेशकश करते हैं।

क्र.सं.	विवरण	निविदा का ब्यौरा
1.	कार्यों का विवरण	<p>निविदाकर्ता आपूर्ति करेगा -</p> <p>i. पर्याप्त मोटार्क के धातु बॉडी वाले 9 मीट्रिक टन और 12 मीट्रिक टन क्षमता (प्रत्येक श्रेणी से कम से कम एक ट्रक) के पूरी तरह से ढके बंद कैश वैन/कंटेनर ट्रकों/वाहनों की पर्याप्त संख्या (न्यूनतम पांच), अधिमानतः सुरक्षित टैंपर प्रूफ डबल लॉकिंग व्यवस्था के साथ बुलेट/टैंपर प्रूफ, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के साथ सक्षम, यात्री और कार्गो कम्पार्टमेंट में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के साथ सक्षम, हूटर और अग्निशामक यंत्र के साथ वायरलेस मोबाइल संचार प्रणाली से लैस वाहन जो निम्नलिखित से बैग में पैक किए गए सिक्कों का परिवहन करेंगे -</p> <p>1 भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद के अधिकार क्षेत्र में स्थित करेंसी चेस्ट को या भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य स्थान से वाहक के जोखिम पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), अहमदाबाद को।</p> <p>2 आरबीआई, अहमदाबाद या आरबीआई, अहमदाबाद के अधिकार क्षेत्र में स्थित करेंसी चेस्ट से वाहक के जोखिम पर गुजरात से बाहर आरबीआई के किसी भी निर्गम कार्यालय या उस कार्यालय के अधिकारक्षेत्र में स्थित करेंसी चेस्टों में या इसके विपरीत क्रम में भी।</p>

2.	अनुबंध का अनुमानित मूल्य	01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2028 तक दो वर्षों की अवधि के लिए जीएसटी सहित प्रति वर्ष ₹49,00,000/- (केवल उनचास लाख रुपये)
3.	बयाना जमाराशि (ईएमडी)	₹98,000/- रुपये (अठ्ठानबे हजार रुपये मात्र) का ईएमडी नीचे उल्लिखित खाते में जमा किया जाना है। खाते का नाम: Reserve Bank of India Ahmedabad खाता संख्या. 186003001 आईएफएससी: RBIS0AHPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य (0)) ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
4.	ईएमडी जमा करने का तरीका	एनईएफटी
5.	कार्यों के दायरे का निष्पादन	दो साल (01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2028 से प्रभावी उद्धृत दरों पर)।

1. मैं / हम यह भी सहमत हैं कि हमारी बोली, बोली के भाग-I के खोले जाने की तारीख से 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकार के लिए वैध रहेगी और इस वैधता अवधि को बैंक और मैं / हम के बीच लिखित रूप से पारस्परिक रूप से सहमत किसी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।
2. यदि यह बोली स्वीकार की जाती है, तो मैं / हम या मेरे उत्तराधिकारी, या अधिकारी, या नामित व्यक्ति यहां सहमत हैं कि बोली की सभी शर्तों और नियमों का पालन और पूर्ति करेंगे और इसके अनुपालन में विफलता की स्थिति में, आप या आपके उत्तराधिकारी, या अधिकारी, या नामित व्यक्ति को बोली में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार निर्धारित राशि के साथ-साथ अनुबंध की लिखित स्वीकृति के अनुसार धनराशि जब्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं।
3. मैं / हम समझते हैं कि आपके पास किसी भी या सभी बोलियों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, बिना किसी कारण बताए।
4. बोली ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से दो भागों में प्रस्तुत की गई है, अर्थात् भाग I और भाग II। भाग I में सभी वाणिज्यिक शर्तें और शर्तें तथा तकनीकी विवरण शामिल हैं और भाग II में केवल बैंक के प्रारूप में मूल्य बोली है।

दिनांक दिन 2026 को।

एम/एस _____ की ओर से और उनके लिए

(मुहर सहित हस्ताक्षर)

पद

स्थान

दिनांक

(उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता के पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सही प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

गवाह

1. हस्ताक्षर

नाम:

पता: _____

तारीख:

2. हस्ताक्षर

नाम:

पता: _____

तारीख:

खंड V

बोलीदाताओं को निर्देश ('सामान्य और विशेष शर्तों सहित')

<p>1. निविदा का दायरा</p>	<p>1.1 ई-निविदाएं भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) द्वारा पात्र बोलीदाताओं से आमंत्रित की जाती हैं। निविदाकर्ता आपूर्ति करेगा -</p> <p>i. पर्याप्त मोटाई के धातु बॉडी वाले 9 मीट्रिक टन और 12 मीट्रिक टन क्षमता (प्रत्येक श्रेणी से कम से कम एक ट्रक) के पूरी तरह से ढके बंद कैश वैन/कंटेनर ट्रकों/वाहनों की पर्याप्त संख्या (न्यूनतम पांच), अधिमानतः सुरक्षित टैंपर प्रूफ डबल लॉकिंग व्यवस्था के साथ बुलेट/टैंपर प्रूफ, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के साथ सक्षम, यात्री और कार्गो कम्पार्टमेंट में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के साथ सक्षम, हूटर और अग्निशामक यंत्र के साथ वायरलेस मोबाइल संचार प्रणाली से लैस वाहन जो निम्नलिखित से बैग में पैक किए गए सिक्कों का परिवहन करेंगे -</p> <p>a. भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद के अधिकार क्षेत्र में स्थित करेंसी चेस्ट को या भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य स्थान से वाहक के जोखिम पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), अहमदाबाद को,</p> <p>b. आरबीआई, अहमदाबाद या आरबीआई, अहमदाबाद के अधिकार क्षेत्र में स्थित करेंसी चेस्ट से वाहक के जोखिम पर गुजरात से बाहर आरबीआई के किसी भी निर्गम कार्यालय या उस कार्यालय के अधिकारक्षेत्र में स्थित करेंसी चेस्टों में या इसके विपरीत क्रम में भी।</p>
<p>2. निषिद्ध प्रथाएं</p>	<p>2.1 बैंक यह अपेक्षा करता है कि निविदाकर्ता, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार, जो बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध रखने में रुचि रखते हैं, अनुबंध/नियुक्ति की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करें। इस नीति के अनुसरण में, बैंक:</p> <p>(a) इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, नीचे दी गई शर्तों को निषिद्ध प्रथाओं के रूप में परिभाषित करता है:</p> <p>i. "भ्रष्ट आचरण": खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ के बदले में या अन्यथा खरीद प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन को प्रभावित करने के लिए रिश्वत, पुरस्कार या उपहार या किसी भी भौतिक लाभ की पेशकश, अनुरोध या स्वीकृति देना;</p> <p>ii. "धोखेधड़ीपूर्ण आचरण": कोई भी चूक या गलत बयानी जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने का प्रयास कर सकती है ताकि वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त किए जा सकें, या एक दायित्व से बचा जा सके। इसमें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या अनुबंध सुरक्षित करने या अनुबंध के निष्पादन के लिए झूठी घोषणा करना या गलत जानकारी प्रदान करना शामिल है।</p> <p>iii. "बलपूर्वक व्यवहार": खरीद प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रभावित करने या अनुबंध के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए व्यक्तियों या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना।</p> <p>iv. "प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार": दो या दो से अधिक बोलीदाताओं के बीच, खरीद इकाई की जानकारी के साथ या उसके बिना, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के दायरे में आने वाली कोई भी मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवस्था, या कोई अन्य प्रथा, जो खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित कर सकती है या कृत्रिम, गैर-प्रतिस्पर्धी स्तरों पर बोली मूल्य स्थापित कर सकती है।</p>

	<p>v. "हित टकराव": एक बोली फर्म या उसके किसी भी सहयोगी द्वारा भागीदारी जो या तो परामर्श अनुबंध में शामिल हैं जिससे यह खरीद जुड़ी हुई है; या यदि वे खरीद में एक से अधिक बोली का हिस्सा हैं; या यदि बोली लगाने वाली फर्म या उनके कर्मियों के पास खरीद इकाई के किसी भी अधिकारी के साथ संबंध या वित्तीय या व्यावसायिक लेनदेन हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुबंध की निविदा या निष्पादन प्रक्रिया से संबंधित हैं; या खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने या व्यक्तिगत लाभ के लिए खरीद इकाई से (संभावित) बोलीदाता द्वारा प्राप्त जानकारी का अनुचित उपयोग;</p> <p>vi. "अवरोधक व्यवहार": उपर्युक्त निषिद्ध प्रथाओं में से एक या अधिक के आरोपों में खरीद इकाई की जांच को या तो जानबूझकर नष्ट करके, गलत बताकर, बदलकर; या जांच के लिए साक्ष्य सामग्री को छिपाकर; या जांचकर्ताओं को झूठे बयान देकर और/या किसी भी पक्ष को जांच से संबंधित मामलों के अपने ज्ञान को प्रकट करने या जांच को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए धमकाकर, परेशान करके या डराकर; या खरीद इकाई के ऑडिट या सूचना तक पहुंच के अधिकारों को रोककर खरीद इकाई की जांच में बाधा डालता है;</p> <p>(b) अवार्ड के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि वह यह निर्धारित करता है कि अवार्ड के लिए अनुशंसित निविदाकर्ता ने विचाराधीन निविदा में प्रतिस्पर्धा करने के लिए निषिद्ध व्यवहार किया है;</p> <p>(c) निविदाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए या निश्चित अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है, यदि, किसी भी समय, बैंक यह निर्धारित करता है कि निविदाकर्ता अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में निषिद्ध व्यवहार में संलग्न;</p>
<p>3. पात्रता मानदंड</p>	<p>3.1 निविदाकर्ताओं को अनुभवी, साधन संपन्न और वित्तीय रूप से मजबूत और लाइसेंस प्राप्त इकाई (कंपनी/साझेदारी/मालिकाना फर्म, आदि) होना चाहिए और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए:</p> <p>i. बोलीदाता के पास केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/प्रतिष्ठित संगठनों के समान प्रकार की सेवाओं (समान कार्य का अर्थ है कि एकल निविदा/अनुबंध के तहत निष्पादित प्रत्येक समान पूर्ण कार्य) का कम से कम तीन साल का अनुभव (बोली खोलने से पहले मार्च के महीने में समाप्त) होना चाहिए। सेवा की अवधि के साथ ऐसे केंद्रीय/राज्य/सार्वजनिक उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची के साथ प्रदान की गई सेवाएं प्रस्तुत की जाएंगी।</p> <p>ii. बोलीदाता ने पिछले तीन वर्षों यानी चालू वित्तीय वर्ष और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में इसी तरह की सेवाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित/पूरा किया होना चाहिए:</p> <p>a) तीन समान पूर्ण सेवाएं जिसमें प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% (चालीस प्रतिशत) की राशि से कम नहीं हो; अथवा</p> <p>b) दो समान पूर्ण सेवाएं जिसमें प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% (चालीस प्रतिशत) की राशि से कम नहीं हो; अथवा</p> <p>c) एक समान पूर्ण सेवा जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% (चालीस प्रतिशत) की राशि से कम नहीं हो।</p> <p>iii. पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अनुबंध की अनुमानित लागत का कम से कम 30 प्रतिशत का न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार, जो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित हो।</p>

iv. नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार धनात्मक निवल मूल्य। निविदाकर्ता किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

v. पर्याप्त मोटाई के धातु बॉडी वाले 9 मीट्रिक टन और 12 मीट्रिक टन क्षमता के पूरी तरह से ढके 5 बंद कैश वैन/कंटेनर ट्रकों/वाहन, अधिमानतः सुरक्षित टैंपर प्रूफ डबल लॉकिंग व्यवस्था के साथ बुलेट/टैंपर प्रूफ, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के साथ सक्षम, यात्री और कार्गो कम्पार्टमेंट में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के साथ सक्षम, हूटर और अग्निशामक यंत्र के साथ वायरलेस मोबाइल संचार प्रणाली से लैस होंगे।

vi. निविदाकर्ता के पास कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) और माल एवं सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) होगी।

vii. अनुबंध को सफलतापूर्वक अवार्ड करने के मामले में, निविदाकर्ता के पास अनुबंध के निष्पादन के लिए अहमदाबाद के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर एक कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि होगा।

viii. निविदाकर्ता किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ एक खाता बनाए रखेगा। बैंक का नाम और बनाए गए खाते की प्रकृति बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

“समान सेवाएँ” का अर्थ होगा ऐसी सेवाएँ जो निविदाकर्ता द्वारा मुद्रा नोट बक्सों और/अथवा सिक्कों की थैलियों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में पूर्णतः ढके हुए बंद कंटेनर ट्रकों/वाहनों की आपूर्ति हेतु केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/प्रतिष्ठित संगठनों को प्रदान की गई हों। किसी भी निविदाकर्ता के पूर्व कार्य अनुभव को निविदा दस्तावेज़ में दिए गए पात्रता मानदंड के अंतर्गत समान प्रकृति के कार्य के रूप में माना जाए या नहीं, इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद का निर्णय अंतिम और सभी निविदाकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा।

नोट: निविदाकर्ताओं को अपनी आवश्यक योग्यता/पात्रता के दावों के समर्थन में दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। बोलीदाता द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों की जाँच की जाएगी। जाँच के दौरान यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है, तो संबंधित डिफॉल्टिंग बोलीदाता का ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा तथा ऐसे डिफॉल्टिंग बोलीदाता पर, विधि और बैंक के विवेकानुसार उपयुक्त समझे जाने पर, कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी, और बैंक ऐसे बोलीदाता को भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से रोक भी सकता है।

<p>4. निविदा दस्तावेज़ आशोधन का</p>	<p>निविदाएँ जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व किसी भी समय, बैंक आरबीआई वेबसाइट (www.rbi.org.in) / ई-पोर्टल पर संशोधन/समcorrigendum जारी करके इस दस्तावेज़ में संशोधन कर सकता है। जारी किए गए किसी भी संशोधन/समcorrigendum को इस दस्तावेज़ का हिस्सा माना जाएगा।</p> <p>संभावित निविदाकर्ताओं को अपने निविदा दस्तावेज़ तैयार करते समय किसी भी/सभी संशोधनों/समcorrigendum पर विचार करने के लिए उचित समय देने हेतु, बैंक अपने विवेकानुसार निविदाएँ जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है।</p> <p>संशोधन केवल आरबीआई की वेबसाइट और एमएसटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे और समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करने हेतु कि वे किसी भी संशोधन से अवगत हैं, www.rbi.org.in तथा एमएसटीसी वेबसाइट को नियमित रूप से देखने की कड़ी सलाह दी जाती है। जारी किए गए परिशिष्ट/समcorrigendum, यदि कोई हो, अनुबंध दस्तावेज़ का हिस्सा बन जाएंगे।</p>
--	---

B. निविदा तैयार किया जाना

<p>5. निविदा की लागत</p>	<p>5.1 निविदाकर्ता अपनी निविदा की तैयारी और प्रस्तुतिकरण से संबंधित सभी व्यय वहन करेगा, और बैंक उन व्ययों के लिए किसी भी स्थिति में, निविदा प्रक्रिया के व्यवहार या परिणाम की परवाह किए बिना, उत्तरदायी या दायित्वपूर्ण नहीं होगा।</p>
---------------------------------	---

<p>6. निविदा में सम्मिलित दस्तावेज़</p>	<p>6.1 निविदा में निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <p>दस्तावेज़ में अनुभागों का विवरण</p> <p>Section I - निविदा आमंत्रण सूचना (NIT)</p> <p>Section II - निविदा का कार्यक्रम (SOT)</p> <p>Section III - ई-प्रोक्योरमेंट हेतु महत्वपूर्ण निर्देश</p> <p>Section IV - निविदा प्रपत्र</p> <p>Section V - बोलीदाताओं के लिए निर्देश ('सामान्य एवं विशेष शर्तों' सहित)</p> <p>Section VI - भाग I – तकनीकी बोली प्रपत्र</p> <p>Section VII - दस्तावेज़ों की सूची</p> <p>Section VIII - भाग-I (तकनीकी बोली) का मूल्यांकन</p> <p>Section IX - भाग II – मूल्य बोली</p> <p>अनुलग्नक A – दस्तावेज़ों का प्रारूप</p>
<p>7. निविदा पत्र</p>	<p>7.1 निविदाकर्ता को ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर (क्लास III) का उपयोग करके बिना किसी परिवर्तन के निविदा प्रस्तुत करनी होगी। सभी रिक्त स्थानों को अनुरोधित जानकारी से भरा जाएगा।</p>
<p>8. निविदाकर्ता की पात्रता निर्धारित करने वाले दस्तावेज़</p>	<p>8.1 निविदा दस्तावेज़ की शर्तों के अनुसार अनुबंध पूरा करने के लिए अपनी योग्यताओं को स्थापित करने हेतु, निविदाकर्ता को निविदा प्रस्तुत करते समय सभी निर्दिष्ट दस्तावेज़/रिकॉर्ड/सूचनाएँ जमा करनी होंगी।</p>

<p>9. निविदा की वैधता अवधि</p>	<p>9.1 निविदा बैंक द्वारा स्वीकृति हेतु निविदा के भाग-1 के उद्घाटन की तिथि से 90 दिनों की अवधि तक वैध रहेगी तथा ऐसी अवधि तक बढ़ाई जाएगी जैसा कि परस्पर सहमति से तय किया जा सके। इस अवधि के दौरान निविदाकर्ता द्वारा निविदा वापस लेने की स्थिति में, ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दरें अनुबंध की अवधि अर्थात् 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2028 तक स्थिर रहेंगी।</p>
<p>10. बयाना जमाराशि (ईएमडी)</p>	<p>10.1 निविदाकर्ताओं को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए आवश्यक ईएमडी और लेनदेन शुल्क जमा करना होगा। लेनदेन शुल्क अप्रतिदेय है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता(ओं) की ईएमडी निविदा आमंत्रित करने वाली प्राधिकरण द्वारा वापस कर दी जाएगी। निम्नलिखित स्थिति में ईएमडी जब्त कर ली जाएगी:</p> <p>a. यदि विक्रेता / ठेकेदार वाणिज्यिक बोली खोलने के बाद बोली वापस लेता है या</p> <p>b. यदि निविदाकर्ता, निविदा प्रस्तुत करने के बाद, अपने प्रस्ताव से विचलित होता है या उसकी शर्तों एवं नियमों में संशोधन करता है या</p> <p>c. यदि विक्रेता / ठेकेदार उसे / उन्हें प्रदान किए गए कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रारंभ करने में विफल रहता है।</p> <p>10.2 ₹98,000 (रुपये अठानवे हजार मात्र) की अर्जित धनराशि (ईएमडी) भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद में एनईएफटी के माध्यम से जमा की जानी है। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 5 मार्च, 2026 अपराह्न 05:00 बजे तक है। एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी राशि स्थानांतरित करने हेतु खाता और अन्य विवरण इस प्रकार हैं: खाता संख्या: 186003001 आईएफएससी: RBIS0AHPA01 (5वाँ और 10वाँ अंक शून्य (0) के रूप में पढ़ा जाए)</p> <p>10.3 बिना ईएमडी जमा किए कोई भी निविदा अस्वीकृत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई निविदाकर्ता ईएमडी को एनआईटी में निर्दिष्ट तिथि और समय के बाद जमा करता है, तो उसकी निविदा शून्य और अमान्य मानी जाएगी तथा निविदा के भाग-1 के उद्घाटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।</p> <p>10.4 सफल निविदाकर्ता की ईएमडी एक अपरिवर्तनीय प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) / सुरक्षा जमा , ₹2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के पक्ष में सुरक्षा जमा के रूप में कार्य प्रदान किए जाने के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने पर समाप्त मानी जाएगी, जैसा कि निविदा दस्तावेज़ के 'सामान्य और विशेष शर्तें' भाग के पैरा 'B' में निर्दिष्ट शर्तों तथा निविदा दस्तावेज़ के अंत में प्रदत्त 'प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रारूप' में वर्णित है।</p> <p>10.5 यदि निविदा आमंत्रण बैंक द्वारा वापस लिया जाता है या रद्द किया जाता है, जिसे किसी भी समय ऐसा करने का अधिकार है, तो ईएमडी समाप्त कर दी जाएगी।</p> <p>10.6 यदि सफल निविदाकर्ता पीबीजी के रूप में सुरक्षा जमा प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई ईएमडी जब्त कर ली जाएगी, बिना इस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले कि बैंक को परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी अतिरिक्त नुकसान या क्षति के लिए वह उत्तरदायी होगा।</p>

C. निविदा प्रस्तुत किया जाना एवं खोला जाना		
11.	बोलीपूर्व बैठक	<p>इच्छुक निविदाकर्ताओं की एक पूर्व-निविदा विवरण बैठक 20 फरवरी, 2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद कार्यालय के निर्गम विभाग में आयोजित की जाएगी, ताकि निविदा के संबंध में उनके द्वारा उठाए गए किसी भी बिंदु/संदेह को स्पष्ट किया जा सके। इस बैठक के लिए कोई अलग संचार नहीं भेजा जाएगा। सभी इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपने हित में पूर्व-बोली बैठक में भाग लेने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>यदि बोलीदाताओं को सामान्य शर्तों, विशेष शर्तों, कार्य के दायरे या निविदा से संबंधित किसी अन्य विषय के किसी भाग के अर्थ के बारे में कोई संदेह है, तो उन्हें पूर्व-बोली बैठक की निर्धारित तिथि और समय से पहले उचित समय में आरबीआई को ई-मेल आईडी svsalunke@rbi.org.in और drathore@rbi.org.in पर या लिखित रूप में निविदा आमंत्रित करने वाली प्राधिकरण को संबोधित करते हुए प्रश्न प्रस्तुत करना होगा, ताकि ऐसे संदेहों को पूर्व-बोली बैठक के दौरान प्रामाणिक रूप से स्पष्ट किया जा सके और सभी बोलीदाताओं को समय पर सूचित किया जा सके।</p> <p>किसी भी विचलन/शर्त के साथ प्राप्त निविदा अस्वीकृति योग्य होगी। पूर्व-बोली बैठक के बाद कोई भी संदेह/स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।</p>
12.	निविदाओं की प्रस्तुति, सील एवं चिह्नित किया जाना	<p>12.1 इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ताओं को ई-निविदा से संबंधित निर्देशों में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक ई-निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।</p> <p>12.2 निविदाकर्ता अपनी तकनीकी बोली (भाग-I) निर्धारित प्रारूप में, निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट दस्तावेज़ों की सूची के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतियों के साथ तथा वित्तीय बोली (प्रतिस्पर्धी दरें) निर्धारित प्रारूप (भाग-II) में प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी जानकारी सहित ई-निविदा अंतिम तिथि पर या उससे पूर्व निर्धारित समय तक प्रस्तुत की जानी चाहिए।</p> <p>12.3 यदि अपेक्षित / निर्धारित जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो निविदा अस्वीकृत होने के लिए बैंक कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।</p>
13.	निविदा प्रस्तुत की जाने की अंतिम तिथि	<p>13.1 निविदाओं को इस दस्तावेज़ में उल्लिखित ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन भरा जाना चाहिए, जो इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट तिथि और समय से बाद में नहीं होना चाहिए।</p> <p>13.2 बैंक अपने विवेकाधिकार पर निविदा दस्तावेज़ में संशोधन करके निविदाओं की प्रस्तुति की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है।</p>

14. विलंबित निविदाएँ	14.1 निर्धारित अंतिम तिथि के बाद ई-पोर्टल पर कोई भी निविदा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।
15. निविदा खोला जाना	15.1 बैंक निर्दिष्ट तिथि पर निविदा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोलेगा।
D. निविदाओं का परीक्षण	
16. गोपनीयता	16.1 निविदाओं के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी निविदाकर्ताओं या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जो इस प्रक्रिया से आधिकारिक रूप से संबंधित न हो, तब तक प्रकट नहीं की जाएगी जब तक कि अनुबंध प्रदान किए जाने की सूचना सभी निविदाकर्ताओं को संप्रेषित न कर दी जाए।
17. निविदाओं का स्पष्टीकरण	<p>17.1 निविदाओं की परीक्षा, मूल्यांकन, तुलना तथा निविदाकर्ताओं की योग्यता में सहायता हेतु, बैंक अपने विवेकाधिकार पर किसी भी निविदाकर्ता से उसकी निविदा के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकता है, जिसके लिए उत्तर देने हेतु उचित समय दिया जाएगा। बैंक के अनुरोध के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत नहीं किया गया कोई भी स्पष्टीकरण विचाराधीन नहीं होगा। बैंक का स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध तथा उसका उत्तर लिखित रूप में होगा। निविदाओं के मूल्यांकन में बैंक द्वारा खोजी गई अंकगणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि को छोड़कर, निविदा की कीमतों या उसके सार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न तो मांगा जाएगा, न प्रस्तुत किया जाएगा और न ही अनुमति दी जाएगी।</p> <p>17.2 यदि कोई निविदाकर्ता बैंक के स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध में निर्धारित तिथि और समय तक अपनी निविदा का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।</p>

E. निविदा का आकलन एवं तुलना	
18. निविदाकर्ता की पात्रता	18.1 बैंक अपनी संतुष्टि के अनुसार यह निर्धारित करेगा कि चयनित निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज़ की 'निविदाकर्ता हेतु निर्देश' तथा सामान्य और विशेष शर्तों के अनुरूप अर्हता मानदंडों को पूरा करता है या नहीं।
19. निविदाओं की जांच/आकलन	<p>19.1 निविदाएँ दो भागों में होंगी, अर्थात् भाग-I "तकनीकी बोली" और भाग-II "मूल्य बोली", जिन्हें ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से अलग-अलग प्रस्तुत किया जाएगा।</p> <p>i. भाग-I तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तों पर आधारित होगा, जिसे निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है:</p> <p>a. एनईएफटी के माध्यम से ₹98,000 (रुपये अठानवे हजार मात्र) की अर्जित धनराशि (ईएमडी) जमा करना। इस जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।</p> <p>b. कंपनी/फर्म की मुहर सहित उस व्यक्ति के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकरण पत्र, जो निविदा दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर कर रहा है।</p> <p>c. निविदा के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज़ और प्रमाणपत्र।</p>

	<p>d. यह घोषणा कि निविदाकर्ता किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था का जानबूझकर चूककर्ता नहीं है और कंपनी/व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।</p> <p>e. मूल्य विभाजन अनुसूची के अनुसार सभी घटकों की सूची सहित Masked Indicative Price Bid, जिसमें कोई मूल्य अंकित नहीं होगा।</p> <p>f. कोई अन्य जानकारी जो निविदाकर्ता प्रस्तुत करना चाहता हो।</p> <p>ii. भाग-II, जिसमें "मूल्य बोली" सम्मिलित होगी, को अलग से प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें केवल भारतीय रुपये में मूल्य, विस्तृत मूल्य-विभाजन सहित, भाग-II में निर्दिष्ट प्रारूप में अंकों में दिया जाना चाहिए। भाग-II में अन्य कोई संलग्नक स्वीकार्य नहीं होगा। उद्धृत करें पूर्ण कार्य के लिए मानी जाएगी और किसी भी प्रकार की वृद्धि के बिना स्थिर एवं बाध्यकारी होंगी। उद्धृत करें जीएसटी को छोड़कर होंगी, परंतु विक्रेता के सभी शुल्क (जैसे टोल या अन्य परिचालन/स्थायी शुल्क) तथा केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए अन्य लागू कर एवं शुल्क सम्मिलित होंगे।</p> <p>iii. निविदाओं का भाग-I निविदाकर्ताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा, यदि वे उपस्थित होना चाहें।</p> <p>iv. निविदाओं की प्रारंभिक जाँच की जाएगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे पूर्ण हैं और निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट आवश्यक एवं महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करती हैं या नहीं। जो निविदाएँ मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती, उन्हें असंवेदनशील मानकर नज़रअंदाज़ किया जाएगा।</p> <p>v. केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं की मूल्य बोली (भाग-II) खोली जाएगी, जिनकी भाग-I की निविदा दस्तावेज़ की जाँच के बाद पात्र पाई जाएगी।</p> <p>vi. बैंक उस निविदाकर्ता/निविदाकर्ताओं को अनुबंध प्रदान करेगा, जिसकी बोली निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप पर्याप्त रूप से संवेदनशील पाई जाएगी और जिसने/जिन्होंने सभी घटकों के मूल्य को ध्यान में रखते हुए अनुमानित मूल्य के सापेक्ष उचित बोली मूल्य प्रस्तुत किया होगा, ताकि L1 (न्यूनतम बोलीदाता) निर्धारित किया जा सके।</p> <p>vii. निविदाओं का मूल्यांकन निविदा दस्तावेज़ में पहले से सम्मिलित शर्तों एवं नियमों के आधार पर किया जाएगा, जिनके आधार पर निविदाएँ प्राप्त हुई हैं। निविदाओं की जाँच और मूल्यांकन के दौरान कोई नई शर्त नहीं जोड़ी जाएगी।</p> <p>viii. कार्य की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, बैंक को यह स्वतंत्रता होगी कि वह न्यूनतम बोली या किसी भी निविदा को स्वीकार न करे और निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में, पूर्ण या आंशिक रूप से, बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखे।</p>
--	--

	<p>ix. उद्धृत दरों में से न्यूनतम दर को L-1 माना जाएगा और कार्य L-1 बोलीदाता को प्रदान किया जाएगा। यदि दो या अधिक विक्रेता समान दर उद्धृत करते हैं, तो पिछले तीन वर्षों का औसत कारोबार अधिक रखने वाली फर्म को L-1 माना जाएगा।</p>
--	--

<p>20. निविदा स्वीकार अथवा किसी/सभी निविदाएँ अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार</p>	<p>20.1 बैंक को यह स्वतंत्रता होगी कि वह न्यूनतम बोली या किसी भी निविदा को स्वीकार न करे और किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने तथा निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर सभी निविदाओं को अनुबंध प्रदान किए जाने से पूर्व किसी भी समय अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखे, बिना निविदाकर्ताओं के प्रति किसी भी प्रकार की देयता उठाए या कोई कारण बताए। इसके अतिरिक्त, सशर्त निविदाएँ अस्वीकार कर दी जाएंगी।</p>
---	---

F. अनुबंध का प्रदान, प्रारंभ एवं नवीनीकरण

<p>21. अनुबंध-प्रदान</p>	<p>21.1 बैंक से निविदा की स्वीकृति का सूचना प्राप्त होने पर सफल निविदाकर्ता अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा। सफल निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज़ में दिए गए निर्देशों/शर्तों तथा दर अनुसूची के अनुसार एक सप्ताह के भीतर बैंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा। सफल निविदाकर्ता को 'विक्रेता' या 'ठेकेदार' कहा जाएगा। स्टाम्प पेपर की लागत सफल निविदाकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।</p>
<p>22. अनुबंध की अवधि एवं नवीनीकरण</p>	<p>21.1 अनुबंध का पुरस्कार दो वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगा, अर्थात् (01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2028 तक), जिसे अनुबंध की शर्तों एवं नियमों के संतोषजनक पालन के अधीन, आपसी सहमति से शर्तों एवं नियमों में परिवर्तन के साथ या बिना, एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।</p> <p>22.2 जब अनुबंध की अवधि समाप्त होने वाली होगी, तो अनुबंध के विस्तार का विषय बैंक द्वारा विचाराधीन किया जा सकता है। वर्तमान अनुबंध की समाप्ति से तीन माह पूर्व, ठेकेदार को लिखित रूप में बैंक को सूचित करना होगा कि वह मौजूदा शर्तों एवं नियमों पर अनुबंध को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक है या नहीं।</p>

सामान्य एवं विशिष्ट शर्तें:

A. सामान्य शर्तें:

- i. बैंक निविदा दस्तावेज़ की पूर्णता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- ii. उद्धृत दरों के अंकों और शब्दों में किसी भी अंतर की स्थिति में, निविदा के मूल्यांकन हेतु शब्दों में लिखी गई दर को मान्य माना जाएगा।
- iii. निविदाकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा दस्तावेज़ में दिए गए सभी निर्देशों, प्रपत्रों, शर्तों और विनिर्देशों का परीक्षण करे। निविदा दस्तावेज़ में अपेक्षित सभी/किसी भी जानकारी या दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफलता निविदा की अस्वीकृति का कारण बन सकती है।

B. सुरक्षा जमा राशि / परफॉर्मेंस बैंक गारंटी

- i. निविदाकर्ता/निविदाकर्ताओं को एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से **₹2,00,00,000** (रुपये दो करोड़ मात्र) की अपरिवर्तनीय प्रदर्शन बैंक गारंटी (PBG) भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के पक्ष में प्रस्तुत करनी होगी, जो परिवहन किए जा रहे धन के मूल्य का प्रतिनिधित्व करेगी।
- ii. प्रदर्शन बैंक गारंटी (PBG) पूरे अनुबंध काल के दौरान अनुबंध के उचित निर्वहन हेतु होगी तथा बैंक को होने वाले या संभावित किसी भी नुकसान या क्षति के विरुद्ध भी होगी। यदि अनुबंध का नवीनीकरण किया जाता है, तो ठेकेदार को विस्तारित बैंक गारंटी की व्यवस्था करनी होगी।
- iii. बैंक प्रेषण की राशि के आधार पर बैंक गारंटी की राशि बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ठेकेदार को अतिरिक्त राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।
- iv. अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण प्रस्तुतिकरण में विलंब होने की स्थिति में, पीबीजी प्रस्तुत करने में विलंब के लिए शुल्क ठेकेदार के बिलों से बैंक दर पर वसूल किए जाएंगे।

C. अयोग्यता / निविदाओं की अस्वीकृति की परिस्थितियाँ

- i. निविदाकर्ता द्वारा या उसके पक्ष में किसी भी प्रकार की पैरवी करना अथवा उनके चयन के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव डालने का प्रयास करना प्रक्रिया से अयोग्यता का कारण बनेगा। ऐसे निविदाकर्ता/निविदाकर्ताओं को न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, *काली सूची* में डाल दिया जाएगा। यदि ऐसे उदाहरण चयन प्रक्रिया के दौरान पता नहीं चल पाते हैं लेकिन बाद में पता चलते हैं, तो ऐसी अयोग्यता तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
- ii. सभी निविदाएँ संलग्नकों/संलग्न पत्रों/अनुबंधों सहित पूर्ण रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए। अपूर्ण प्रपत्र, या निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त बोलियाँ, अथवा उचित दस्तावेज़ी प्रमाण के बिना प्राप्त बोलियाँ, बैंक द्वारा सीधे और संक्षेप में अस्वीकार कर दी जाएंगी।
- iii. एमएसटीसी पोर्टल के अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएंगी और सीधे अस्वीकार कर दी जाएंगी। इस विषय पर कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
- iv. निर्धारित ईएमडी/प्रोसेसिंग शुल्क के बिना या उससे कम राशि के साथ प्राप्त बोली प्रस्ताव सीधे अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
- v. नियत तिथि और समय के बाद प्राप्त निविदाएँ सीधे अस्वीकार कर दी जाएंगी।
- vi. सशर्त निविदाएँ तुरंत अस्वीकार कर दी जाएंगी और कोई अतिरिक्त शर्त स्वीकार नहीं की जाएगी।
- vii. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी निविदा में संशोधन नहीं किया जा सकता। निविदा की वैधता अवधि समाप्त होने तक, अंतिम तिथि के बाद प्रस्तुत निविदा को वापस नहीं लिया जा सकता। इस अवधि में निविदा वापस लेने पर

ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

viii वैकल्पिक प्रस्ताव / पूर्णता हेतु समय की अनुमति नहीं दी जाएगी।

D. ठेकेदार के कर्तव्य:

ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अनुबंध की वैधता अवधि पूर्ण होने तक उसे सफलतापूर्वक निष्पादित करे। यदि ठेकेदार सौंपा गया कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो प्रदर्शन बैंक गारंटी (PBG) लागू की जाएगी / सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार को अपनी किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान से बैंक को क्षतिपूर्ति करनी होगी, जिसके लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

- i. ठेकेदार को अनुबंध अवधि के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक, इश्यू विभाग, अहमदाबाद के महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारी(यों) से इस संबंध में लिखित मांग प्राप्त होने के 12 घंटे के भीतर, सिक्कों से भरे थैलों के परिवहन हेतु पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराने होंगे। ऐसी मांग ठेकेदार को, ई-मेल, के माध्यम से दी जा सकती है। यदि परिवहन हेतु निर्धारित समय से कम से कम तीन घंटे पूर्व बैंक द्वारा मौखिक या लिखित रूप में एक अन्य सूचना जारी कर उक्त मांग को रद्द कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में बैंक ठेकेदार को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक या क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं करेगा।
- ii. आपातकालीन परिस्थितियों में, बैंक बारह घंटे के स्थान पर तीन घंटे की सूचना देकर मांग कर सकता है और ठेकेदार को उसका पालन करना होगा।
- iii. दी गई सूचना का पालन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा, भले ही इसके लिए सामान्य कार्य समय से बाहर कार्य करना पड़े या ऐसे दिन पर कार्य करना पड़े जो विनिमय लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित हों, जिसमें शनिवार और रविवार या इस संबंध में लागू अन्य प्रावधान सम्मिलित हैं।
- iv. ठेकेदार किसी भी परिस्थिति में बैंक के मालवाहक वाहनों में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित/संपत्ति का सामान परिवहन नहीं करेगा।
- v. सिक्कों से भरे थैले ठेकेदार को उसके स्वयं के जोखिम पर सौंपे जाएंगे। ठेकेदार को उनके लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। ठेकेदार बैंक से परामर्श कर अपने खर्च पर सिक्कों का बीमा करा सकता है। यात्रा के दौरान किसी भी कारणवश बैंक को होने वाले नुकसान की भरपाई ठेकेदार करेगा। यह नुकसान ठेकेदार को देय बिलों से वसूल किया जाएगा और/या ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन बैंक गारंटी को लागू करके वसूला जाएगा।
- vi. ठेकेदार को आवश्यक मार्ग परमिट प्राप्त करने होंगे और सभी संबंधित कर स्वयं चुकाने होंगे।
- vii. ठेकेदार अनुबंध को आगे नहीं सौंपेगा। वह अनुबंध का कोई भी भाग बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उप ठेके पर नहीं देगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर बैंक अनुबंध को समाप्त कर सकता है।
- viii. वाहन के खराब हो जाने की स्थिति में, ठेकेदार को न्यूनतम समय में क्रेन/स्टैंड बाय/समान विनिर्देश वाले वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी ताकि धन का प्रेषण विलंबित न हो।
- ix. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि वाहनों के पास हर समय संबंधित आरटीओ द्वारा जारी वैध अनुमति, पंजीकरण पत्र, ऑल इंडिया परमिट, पीयूसी प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, अद्यतन कर भुगतान, बीमा कवर आदि उपलब्ध हों। ट्रक/वाहनों के चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। ठेकेदार बैंक को किसी भी प्रकार के नुकसान, लागत, शुल्क और व्यय से क्षतिपूर्ति करेगा और बैंक को क्षतिपूर्ति करता रहेगा, जो उक्त परमिट, लाइसेंस, प्रमाणपत्र आदि की कमी के कारण

बैंक को उठाना पड़े।

- x. बैंक को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु लगाए गए वाहनों का किसी भी समय निरीक्षण करे या निरीक्षण की व्यवस्था करे और किसी वाहन/उपकरण को असुरक्षित घोषित कर उसके तत्काल संचालन से हटाने का निर्देश दे। ठेकेदार को इसका शीघ्र/तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- xi. बैंक का कार्य उचित, सावधानीपूर्वक, शीघ्र और दक्षतापूर्वक किया जाना चाहिए। संपूर्ण कार्य/गतिविधियाँ इस प्रकार संपन्न की जानी चाहिए कि सिक्कों के थैलों, बैंक के कर्मचारियों या अधिकारियों, बैंक की संपत्ति, सामान आदि तथा बैंक परिसर में उपस्थित आम जनता या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति न पहुँचे। निविदाकर्ता को उन ठेकेदारों के साथ निकट समन्वय में कार्य करना होगा जो मज़दूर/श्रमिक उपलब्ध कराएँगे।
- xii. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन दस वर्ष से कम पुराने, सड़क योग्य और अच्छी स्थिति में होने चाहिए। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि टायर और बैटरी की स्थिति भी अच्छी हो तथा वाहन में स्पीड गवर्नर और एसओएस बटन लगा हो। ये वाहन ठेकेदार के स्वामित्व वाले या लीज पर लिए गए हो सकते हैं। लीज पर लिए गए वाहनों के मामले में, ठेकेदार को ऐसा दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा जिससे यह स्पष्ट हो कि अनुबंध अवधि के दौरान लीज समाप्त नहीं होगी।
- xiii. ठेकेदार को दुर्घटना, आग, चोरी, डकैती, खजाने की लूट, पारगमन के दौरान या किसी दोषपूर्ण वाहन अथवा ठेकेदार के कर्मचारियों की अक्षमता/लापरवाही के कारण बैंक को हुए किसी भी नुकसान या क्षति की भरपाई करनी होगी और बैंक को प्रतिपूर्ति करनी होगी।
- xiv. यदि पात्र हो, तो ठेकेदार को बैंक को 'उद्यम प्रमाणपत्र' की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- xv. ठेकेदार को वाहनों के नियमित रखरखाव अभिलेख बैंक को प्रस्तुत करने होंगे। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी वाहन आवश्यक सुरक्षा उपकरणों सहित, जैसे अग्निशामक यंत्र, से सुसज्जित हों।
- xvi. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि इस समझौते के तहत कार्य करने के लिए उसके द्वारा नियुक्त ड्राइवर शराब या अन्य मादक पदार्थों के आदी न हों। बैंक के परिसर में धूम्रपान, शराब का सेवन, तंबाकू या पान मसाला चबाना वर्जित है।

E. भुगतान एवं कर

भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा, प्रत्येक प्रेषण के लिए पूर्ण रूप से प्रस्तुत बिलों के जमा होने के बाद। भुगतान करते समय आयकर (TDS-IT), केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (TDS-CGST), राज्य वस्तु एवं सेवा कर (TDS-SGST), एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (TDS-IGST) तथा अन्य लागू करों की कटौती, केंद्र/राज्य सरकार के प्रचलित दिशा-निर्देशों/कानूनों के अनुसार, निर्धारित दरों पर की जाएगी।

- i. ठेकेदार को प्रदत्त सेवाओं के लिए भुगतान इस अनुबंध के अनुसूची में उल्लिखित दरों पर किया जाएगा। उक्त दरें स्थिर होंगी और पूरे अनुबंध काल में किसी भी परिस्थिति में बढ़ाई नहीं जा सकेंगी तथा ठेकेदार द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क दावा नहीं किया जा सकेगा।
- ii. **शुल्क केवल उन यात्राओं के लिए देय होंगे जिनमें भरी हुई नकद वैन / कंटेनर ट्रक / वाहन का आवागमन सम्मिलित हो।**
- iii. अनुबंध मूल्य/दर सर्वसमावेशी होगा, जिसमें स्थिर एवं परिचालन शुल्क सम्मिलित होंगे और यह कार्य के दायरे, उपलब्ध कराए जाने वाले वाहन पर आधारित होगा। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, चालकों एवं अन्य श्रमिकों का

वेतन/वर्दी/भोजन/भत्ते आदि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) भुगतान, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) भुगतान, बोनस भुगतान, ग्रेच्युटी, बीमा एवं ओवरटाइम वेतन (यदि कोई हो), पार्किंग शुल्क, टोल गेट शुल्क एवं अन्य सभी कर/शुल्क सम्मिलित होंगे।

- iv. लागू जीएसटी ठेकेदार द्वारा अपने मासिक बिल में आरोपित किया जा सकता है और बैंक द्वारा केंद्र/राज्य सरकार के प्रचलित दिशा-निर्देशों/कानूनों के अनुसार ठेकेदार को प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- v. बैंक को यह अधिकार सुरक्षित है कि भुगतान के बाद, पश्चात भुगतान लेखा परीक्षा या तकनीकी परीक्षण अथवा किसी अन्य माध्यम से पता चले किसी भी अतिरिक्त भुगतान की वसूली करे/वसूली लागू करे।
- vi. यदि इस अनुबंध के अंतर्गत किसी देयता के उत्पन्न होने पर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी का निर्णय दोनों पक्षों पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- vii. अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी क्षतिपूर्ति या अन्य धनराशि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन बैंक गारंटी से अथवा ठेकेदार को देय या देय होने वाली अन्य राशि से काट ली जाएगी।

F. विवाद समाधान प्रक्रिया तथा मध्यस्थता

- i. यदि बैंक और ठेकेदार/प्रतिपक्ष के बीच अनुबंध या कार्य निष्पादन से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो पक्षकारों को परस्पर चर्चा के माध्यम से, सद्भावना के साथ, उसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करना होगा। ऐसी चर्चा की सूचना किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिए जाने के दिन से 30 दिनों की अवधि के भीतर यह प्रयास किया जाना चाहिए।
- ii. यदि उपर्युक्त अवधि में सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं निकलता है, तो विवाद को *मध्यस्थता या सुलह* के माध्यम से *मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996* (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार संदर्भित और सुलझाया जाएगा। मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा और अनुबंध पर लागू होगा। किसी भी कानूनी विवाद के निपटान हेतु वैकल्पिक समाधान विधियाँ केवल आपसी सहमति से ही अपनाई जा सकती हैं। तथापि, जो विवाद/मुद्दे मध्यस्थता के माध्यम से नहीं सुलझाए जा सके, उनकी विधिक अधिकारिता केवल अहमदाबाद होगी।

G. अप्रत्याशित परिस्थितियाँ

- i. इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, यदि किसी पक्ष की जिम्मेदारियों के निर्वहन में विलंब उसकी उचित नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण होता है (जिसमें, बिना किसी सीमा के, सरकार के कार्य, ईश्वर की इच्छा, प्राकृतिक या सामाजिक आपदाएँ, हड़तालें, किसी क्षेत्र में दंगे, नेटवर्क विफलता, आतंकवादी हमला, युद्ध — घोषित या अघोषित — सम्मिलित हैं), तो ऐसे विलंब के लिए कोई भी पक्ष उत्तरदायी नहीं होगा। तथापि, यदि विलंब संबंधित आपूर्तिकर्ता के उचित नियंत्रण से बाहर नहीं है, तो उस पक्ष को विलंब के लिए उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा।

H. दवात्याग

- i. यद्यपि इस दस्तावेज़ को तैयार करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी निविदाकर्ताओं को स्वयं यह सुनिश्चित करना होगा कि दस्तावेज़ सभी दृष्टियों से पूर्ण है। किसी भी विसंगति की सूचना तुरंत इस कार्यालय को दी जानी चाहिए। यदि निविदा सूचना (NIT) की तिथि से 10 दिनों के भीतर किसी भी निविदाकर्ता से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि यह दस्तावेज़ सभी दृष्टियों से पूर्ण है।
- ii. बैंक को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह इस दस्तावेज़ में, सभी प्रारूपों और परिशिष्टों सहित, संशोधन, परिवर्तन या पूरक कर सके।

- iii. यद्यपि यह दस्तावेज़ सद्भावना से तैयार किया गया है, फिर भी बैंक अथवा उसके कर्मचारी या सलाहकार किसी भी कथन या चूक के संबंध में कोई प्रतिज्ञान या वारंटी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, नहीं देते और किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी या देयता स्वीकार नहीं करते। इस दस्तावेज़ की शुद्धता, पूर्णता या विश्वसनीयता के संबंध में किसी भी कानून, अधिनियम, नियम या विनियम के अंतर्गत बैंक पर कोई देयता नहीं होगी, भले ही किसी कार्य या चूक के कारण कोई हानि या क्षति हुई हो।

I. बैंक का अधिकार

- i. बैंक को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह निविदा उपलब्धता की अवधि और/या बोलियों के खोलने की तिथि को बढ़ा सके।
- ii. बैंक को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी/सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार कर सके अथवा योग्यता प्रक्रिया को बिना किसी देयता उठाए या कोई कारण बताए निरस्त कर सके।
- iii. बैंक को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह कार्य के दायरे को एक से अधिक एजेंसी/एजेंसियों में बाँट सके, बिना किसी कारण बताए। इस संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- iv. यहाँ निर्दिष्ट नियम और शर्तें सांकेतिक प्रकृति की हैं और ये बैंक को सफल बोलीदाता के साथ अनुबंध निष्पादन के समय ऐसे अन्य या अतिरिक्त नियम और शर्तें लगाने या उनसे सहमति प्राप्त करने से नहीं रोकतीं। बैंक आवश्यकतानुसार इन नियमों और शर्तों में परिवर्तन, संशोधन या विलोपन कर सकता है ताकि निविदा के अंतर्गत दिए जा रहे कार्य का उचित और सही निष्पादन सुनिश्चित हो सके।
- v. ठेकेदार अथवा उसके एजेंट/श्रमिक/चालक यदि यहाँ उल्लिखित नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन करते हैं और/या बैंक की राय में असंतोषजनक सेवाएँ प्रदान करते हैं, तो वे दंड और/या अनुबंध की तत्काल समाप्ति के लिए उत्तरदायी होंगे, बिना किसी सूचना या क्षतिपूर्ति के।
- vi. उपरोक्त के अतिरिक्त, अनुबंध अवधि के दौरान, अनुबंध को किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है।

J. अयोग्यता / समाप्ति / दंड:

- i. यदि कोई निविदाकर्ता स्वयं अथवा अपने पक्ष में किसी प्रकार की पैरवी करने का प्रयास करता है या बैंक के निर्णय (जाँच, तुलना, मूल्यांकन और अनुबंध प्रदान करने) पर राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव डालने का प्रयास करता है, तो इसे गंभीर दुराचार माना जाएगा। ऐसी स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी और निविदाकर्ता को न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, *काली सूची* में डाल दिया जाएगा। यदि ऐसे उदाहरण चयन प्रक्रिया के दौरान पता नहीं चल पाते हैं लेकिन बाद में पता चलते हैं, तो ऐसी अयोग्यता तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
- ii. अनुबंध को किसी भी कारण से दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को एक माह की लिखित सूचना देकर समाप्त कर सकता है।
- iii. ठेकेदार के दिवालिया, दिवालियापन या विलीनीकरण की घोषणा होने या उसकी उस तकनीकी या वित्तीय क्षमता में भारी कमी आने की स्थिति में, जिसके आधार पर उसे मूल रूप से अनुबंध प्रदान के लिए चुना गया था, अनुबंध तुरंत समाप्त हो जाएगा। ऐसी समाप्ति ठेकेदार को लिखित सूचना जारी करके की जाएगी, बिना किसी प्रतिपूर्ति के अधिकार के, और यह अनुबंध की शर्तों के तहत या अन्यथा कानून के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में उत्पन्न या निहित किसी भी अधिकार या उपायों को प्रभावित किए बिना होगी।

- iv. यदि ठेकेदार बैंक द्वारा वाहनों की आपूर्ति हेतु जारी किसी मांग का पालन करने में विलंब (तीन घंटे) करता है या अनुबंध की किसी भी शर्त/निर्देश का उल्लंघन करता है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के महाप्रबंधक/डीजीएम-प्रभारी द्वारा इतना गंभीर माना जाता है कि दंड लगाया जाए, तो उक्त महाप्रबंधक/डीजीएम-प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी से परामर्श कर प्रत्येक मामले में ठेकेदार पर अधिकतम ₹10,000 (रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना लगा सकते हैं। यह राशि विक्रेता को देय भविष्य के बिलों से वसूल की जाएगी।
- v. बार-बार या लगातार विलंब होने की स्थिति में अथवा अनुबंध की किसी भी प्रावधान का ठेकेदार द्वारा उल्लंघन किए जाने पर, बैंक अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सकता है। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी की स्वीकृति के साथ महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी, इश्यू विभाग द्वारा लिखित सूचना दी जाएगी, चाहे ऐसे विलंब या उल्लंघन पर पूर्व में कोई दंड लगाया गया हो या नहीं।
- vi. अनुबंध की निरंतरता मुख्य रूप से ठेकेदार के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। यदि किसी भी समय प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो अनुबंध को एक माह की लिखित सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है।
- vii. यदि ठेकेदार तीन से अधिक अवसरों पर सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहता है, तो बैंक को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है, चाहे सूचना दी जाए या नहीं। इस स्थिति में परिवहनकर्ता को किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
- viii. जिन सभी मामलों में ठेकेदार पर कुल अनुबंध मूल्य का एक प्रतिशत संचयी दंड लगाया गया हो, वहाँ प्रारंभिक दो वर्ष की अवधि से आगे अनुबंध विस्तार पर विचार नहीं किया जाएगा।

K. विधियों के अनुपालन:

ठेकेदार/ठेकेदारों को देश और संबंधित राज्य में लागू सभी प्रासंगिक कानूनों का पालन करना होगा। ठेकेदार अपनी किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाले सभी कानूनी परिणामों से बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा, जिनके लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

- i. निविदाकर्ता को श्रम, कराधान, श्रमिक सुरक्षा, बाल एवं महिला श्रम, रोजगार आरक्षण आदि से संबंधित विभिन्न वैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा। निविदाकर्ता को उपयुक्त प्राधिकरणों के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है, जैसे जीएसटी प्राधिकरण/आयकर/पैन/ईपीएफ/ईएसआई प्राधिकरण/भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908/श्रम लाइसेंस आदि।
- ii. ठेकेदार को मोटर वाहन अधिनियमों और संबंधित राज्यों में लागू नियमों का पालन करना होगा।
- iii. ठेकेदार को अपने नियोजित श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के अंतर्गत ग्रेच्युटी भुगतान तथा अन्य सभी वैधानिक भुगतान करना होगा। यह भुगतान समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, जो भी अधिक हो, किया जाएगा।
- iv. श्रमिकों को *न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948* एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों को *EPF अधिनियम, 1952* के अनुसार भविष्य निधि, *बोनस अधिनियम, 1965* के अनुसार बोनस और/या लाभांश तथा *ESI अधिनियम* के अनुसार ESI दिया जाना चाहिए। यदि ESI उपलब्ध नहीं है, तो ठेकेदार को *श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923* के अंतर्गत श्रमिक क्षतिपूर्ति बीमा का प्रावधान करना होगा। इसका संपूर्ण

प्रीमियम ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। ठेकेदार के पास अपने श्रमिकों के लिए EPF योगदान हेतु वैध EPF खाता होना चाहिए। किसी भी वैधानिक भुगतान के अनुपालन न होने की शिकायत की स्थिति में, संबंधित राशि बिल से काट ली जाएगी और बैंक को अनुबंध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

- v. ठेकेदार को सभी अभिलेख और कानूनी दस्तावेज़ प्रचलित विधि के अनुसार अद्यतन रखने होंगे और प्रबंधन/वैधानिक प्राधिकरणों को माँगने पर प्रस्तुत करने होंगे।
- vi. ठेकेदार को बैंक के कार्य हेतु नियुक्त कर्मचारियों के वेतन वितरण विवरण उनके हस्ताक्षर सहित त्रैमासिक आधार पर बैंक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। यदि भुगतान नकद में किया जाता है, तो यह बैंक के अधिकारी की उपस्थिति में उनके हस्ताक्षर सहित किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, कर्मचारियों के बैंक खाते में वेतन जमा किया जा सकता है और भुगतान दर्शाने वाले बैंक विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- vii. प्रधान नियोक्ता अर्थात् बैंक ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का रोजगार लाभ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि ठेकेदार की चूक या लापरवाही के कारण बैंक को प्रधान नियोक्ता के रूप में ठेकेदार के कर्मचारियों को किसी कानून के अंतर्गत कोई राशि चुकानी पड़ती है, तो वह राशि बैंक द्वारा ठेकेदार से ऋण के रूप में वसूल की जाएगी।
- viii. ठेकेदार को *कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013* के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। यदि उसके कर्मचारियों/मज़दूरों के विरुद्ध भारतीय रिज़र्व बैंक परिसर में यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत आती है, तो शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित *आंतरिक शिकायत समिति* के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार को अधिनियम के अनुसार उचित कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- ix. यदि ठेकेदार के किसी कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायत की जाती है, तो उसे बैंक द्वारा गठित *क्षेत्रीय शिकायत समिति* द्वारा संज्ञान में लिया जाएगा।
- x. यदि घटना में ठेकेदार के कर्मचारी सम्मिलित पाए जाते हैं, तो ठेकेदार किसी भी प्रकार के मौद्रिक क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। उदाहरणस्वरूप, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा बैंक के कर्मचारी के साथ यौन हिंसा सिद्ध होती है, तो बैंक के कर्मचारी को दी जाने वाली किसी भी मौद्रिक राहत का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।
- xi. ठेकेदार को कार्य आरंभ होने से पूर्व, अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के तहत एक वैध लाइसेंस प्राप्त करना होगा, तथा कार्य समाप्ति तक वैध लाइसेंस रखना होगा। ठेकेदार को बाल श्रमिक (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 1950 के प्रावधानों का भी पालन करना होगा। ठेकेदार को वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मचारी दायित्व अधिनियम, 1938, श्रमिकों की क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, अथवा इनके संशोधनों तथा/या इस संबंध में समय-समय पर लागू किए जाने वाले अन्य संबंधित कानून/अधिनियम/विधि/नियम/विधान/कोड के प्रावधानों का भी पालन करना होगा।

L. गैर प्रकटीकरण खंड:

ठेकेदार बैंक की अधोसंरचना/प्रणालियों/उपकरणों आदि से संबंधित किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण, जो अनुबंधीय दायित्वों के निर्वहन के दौरान उसके संज्ञान या अधिकार में आते हैं, को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेगा और सदैव उसे अत्यंत गोपनीय रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय उन परिस्थितियों के जहाँ अनुबंधीय दायित्वों के निर्वहन हेतु या लागू कानूनों के अनुपालन हेतु आवश्यक हो। ठेकेदार बिना नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के किसी भी व्यापारिक या तकनीकी पत्रिका अथवा अन्यत्र कार्य से संबंधित विवरण प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या प्रकटीकरण नहीं करेगा। ठेकेदार बैंक को किसी भी गोपनीय जानकारी के

प्रकटीकरण से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उपयुक्त कदम उठाएगा ताकि इस अनुबंध के अंतर्गत गोपनीयता और गैर-प्रकटीकरण का दायित्व पूर्ण रूप से निभाया जा सके। ठेकेदार के गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता संबंधी दायित्व अनुबंध की समाप्ति या निरस्तीकरण के बाद भी किसी भी कारण से प्रभावी रहेंगे। खजाने के परिवहन कार्य में नियुक्त ठेकेदार के कर्मचारी प्रेषण प्रक्रिया पूर्ण होने तक सोशल मीडिया अनुप्रयोगों को निष्क्रिय स्थिति में रखेंगे। प्रेषण से संबंधित किसी भी जानकारी का साझा करना, जिसमें लाइव लोकेशन और फोटो सम्मिलित हैं, सख्ती से निषिद्ध है। परिवहन ठेकेदार अपने कर्मचारियों को प्रेषण के साथ फोटो, वीडियो, सेल्फी लेने से रोकने का निर्देश देगा। उपरोक्त का पालन न करना ठेकेदार की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक को हर्जाना दावा करने तथा कानूनी उपाय अपनाने का अधिकार होगा। विक्रेता/ठेकेदार बैंक की *सूचना सुरक्षा नीति* के प्रासंगिक प्रावधानों का भी पालन करेगा।

M. कामगारों की सुरक्षा एवं बीमा

- i. ठेकेदार संचालन और अनुरक्षण कार्यों में संलग्न चालक तथा अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा, संरक्षा और बीमा अथवा जीवन बीमा के लिए स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
- ii. ठेकेदार को अपने खर्च पर, किन्तु बैंक द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों पर, अनुबंध में निर्दिष्ट जोखिमों और कवरेज के विरुद्ध बीमा कराना और बनाए रखना होगा। ठेकेदार को निम्नलिखित जोखिमों का कवरेज सुनिश्चित करना होगा।
 - (a) पूर्ण अनुबंध मूल्य के लिए *ऑल रिस्क (CAR) पॉलिसी*।
 - (b) स्थल पर कार्यरत ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए *श्रमिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी*।
 - (c) *तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी* कुल ₹10.00 लाख की राशि के लिए, जिसमें प्रति दुर्घटना ₹2 लाख की सीमा होगी।
- iii. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके श्रमिक कार्य करते समय पर्याप्त सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, हाथ के दस्ताने आदि का उपयोग करें।
- iv. किसी भी जनशक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन/निरीक्षण करते समय हुई घातक चोट/मृत्यु की स्थिति में बैंक किसी भी प्रकार के मुआवज़े के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- v. उद्धृत दरें उस राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/अधिसूचित न्यूनतम वेतन से कम नहीं होनी चाहिए जहाँ सेवा प्रदान की जा रही है और इनमें सभी वैधानिक दायित्व सम्मिलित होंगे।
- vi. अनुबंध के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए सभी कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार के देय भुगतानों के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा और बैंक इन कर्मचारियों की सेवाएँ लेने के लिए किसी भी देयता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- vii. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति शराबी, नशाखोर न हों और बैंक के हितों के प्रतिकूल किसी भी गतिविधि में संलग्न न हों। ठेकेदार सभी नियुक्त जनशक्ति का पुलिस सत्यापन कराएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि नियुक्त जनशक्ति का चरित्र उत्तम हो।

खंड VI
भाग-I – तकनीकी बोली फॉर्म

(नोट- इसे ई-निविदा पोर्टल में भरकर अपलोड किया जाएगा)

क्रम सं.	विवरण	बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत जानकारी		
1.	निविदाकर्ता का नाम			
2.	क्या निविदाकर्ता कोई कंपनी, साझेदारी फर्म या मालिकाना फर्म है			
3.	अनुबंध को निष्पादित करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के नाम और पदनाम			
4.	कंपनी/ फर्म/ प्रोपराइटरशिप फर्म का पंजीकृत पता और संपर्क पता			
5.	दूरभाष नंबर	कार्यालय	आवासीय	मोबाइल
6.	ई-मेल आईडी			
7.	फैक्स नंबर			
8.	अहमदाबाद नगरपालिका क्षेत्र के भीतर स्थित निविदाकर्ता के कार्यालय/ स्थानीय प्रतिनिधि का पता			
9.	कंपनी द्वारा इस प्रकार के कार्य करने का अनुभव (वर्षों की संख्या) (प्रमाण पत्र संलग्न किए जाए)			
10.	पिछले तीन वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर (लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण संलग्न किए जाए)			
11.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार नेट वर्थ (संलग्न किया जाए)			
12.	क्या वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट धारण किया जा रहा है ? (वाहनों के राष्ट्रीय परमिट की फोटोकॉपी संलग्न की जाए)			
13.	बैंक का नाम, पता, आईएफएससी, खाता प्रकार और संख्या (रद्द किए गए चेक की प्रति संलग्न करें)			

14.	पैन संख्या (प्रति संलग्न की जाए)					
15.	जीएसटीआईएन (प्रति संलग्न की जाए)					
16.	निविदाकर्ता द्वारा धारित पूरी तरह से कवर किए गए कंटेनर ट्रकों/ वाहनों का विवरण					
ए) ट्रक/कंटेनर						
क्रम सं.	कंपनी	मॉडल वर्ष	क्षमता (टनों में)	पंजीकरण संख्या	क्या ट्रकों/वाहनों को जीपीएस, सीटीवी से सुसज्जित किया गया है। हूटर सिस्टम और अग्निशामक यंत्रों सहित वायरलेस मोबाइल संचार और जिसकी न्यूनतम क्षमता 9 मेट्रिक टन है और 12 मेट्रिक टन है ? (हां/नहीं)	परमिट संख्या

17) उन संस्थानों का विवरण जिनके साथ निविदाकर्ता ने इस प्रकार के अनुबंध किए हैं (उनके समर्थन में दस्तावेज/ प्रमाण पत्र संलग्न किए जाए)

क्र. सं.	संस्था का नाम	पता और टेलीफोन नंबर (प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न किए जाए)	अनुबंध की अवधि	संस्थान में किए गए कार्यों का वास्तविक मूल्य

18. क्या परिवहन वाहनों के चालकों के चरित्र और पूर्ववृत्त पुलिस द्वारा सत्यापित और प्रमाणित हैं? - हाँ/ नहीं (यदि हाँ, तो पुलिस सत्यापन रिपोर्ट संलग्न करें)

19. (क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा राज्य/ केन्द्र सरकार के विभाग द्वारा निविदाकर्ता को कभी काली सूची में डाला गया है? - हाँ/नहीं

(यदि फर्म या उसके निदेशकों को आरबीआई द्वारा आवेदन करने से प्रतिबंधित किया गया है अथवा काली सूची में डाला गया है या किसी आपराधिक अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है)।

(ख) क्या फर्म या उसके निदेशकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में लंबित है? हाँ / नहीं

यदि हाँ, तो विवरण दें (एक अलग शीट संलग्न की जा सकती है)

20) क्या अनुबंध के नियम और शर्तें निविदाकर्ता को स्वीकार्य हैं? - हाँ/नहीं

यदि हां, तो अनुबंध के नियमों और शर्तों की एक प्रतिलिपि, इस निविदा दस्तावेज के ____ खंड में दी गई है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित, निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

21) भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के खाते में एनईएफटी के माध्यम से जमा बयाना राशि का विवरण:

एनईएफटी विवरण:

खाता नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक अहमदाबाद

खाता संख्या 186003001

आईएफएससी: RBIS0AHPA01 (5वें और 10वें अंक को शून्य (0) के रूप में पढ़ा जाए)

कुल राशि:

घोषणा:

मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार उचित और सही है और यदि उनमें से कोई भी सूचना बाद में गलत/असत्य साबित होता/होती है, तो बैंक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है जैसा भी वह उचित समझे।

मैं/हम समझते हैं कि यदि मुझे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी गलत/असत्य पाई जाती है तो हमारी निविदा किसी भी स्तर पर अस्वीकृति के लिए पात्र होगी और इस संबंध में आरबीआई का निर्णय अंतिम होगा।

कंपनी/फर्म के प्राधिकृत अधिकारी का नाम:

हस्ताक्षर (कंपनी/फर्म की मुहर के साथ):

दिनांक:

खंड - VII दस्तावेजों की सूची

तकनीकी बोली के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची –

- i. कंपनी के गठन या कानूनी स्थिति, पंजीकरण के स्थान और व्यवसाय के प्रमुख स्थान को परिभाषित करने वाले मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र दस्तावेजों की प्रतियां; बोली लगाने वाले को प्रतिबद्ध करने के लिए बोली के हस्ताक्षरकर्ता की लिखित पावर ऑफ अटॉर्नी एवं उपयुक्त व्यवसाय लाइसेंस/पंजीकरण:
ए) जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र
बी) पैन
सी) ईपीएफ, ईएसआई, श्रम लाइसेंस की प्रतियां
डी) निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 या राज्य द्वारा प्रख्यापित इसी तरह के अधिनियम/नियमों के तहत वैध लाइसेंस की प्रति जिसमें सेवा की जाती है (सुरक्षा सेवा के मामले में)
- ii. ऑल इंडिया परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और बीमा की प्रति के साथ कैश वैन/ कंटेनर ट्रक/ वाहनों के पंजीकरण दस्तावेज।
- iii. पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक के लिए निष्पादित सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य।
- iv. नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार धनात्मक निवल मूल्य दर्शाने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित ऋण शोधन प्रमाण-पत्र।
- v. पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के लिए समान प्रकृति और आकार की सेवाओं में कार्य आदेशों और अनुभव प्रमाणपत्रों की प्रतियां और सेवाओं का विवरण या अनुबंध; और उन ग्राहकों के नाम और पते जिनसे उन अनुबंधों के बारे में अधिक जानकारी के लिए संपर्क किया जा सकता है। ग्राहकों से कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- vi. निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/ फर्म की मुहर के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकार पत्र
- vii. इस अनुबंध के लिए कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता का प्रमाण (ऋण व्यवस्था) तक पहुंच और अन्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता)
- viii. पिछले तीन वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (खातों में नोट्स के साथ संबंधित अवधि के लिए बैलेंस शीट के साथ लाभ और हानि विवरण की प्रतियां)
- ix. पिछले एक साल के बैंक खाते का विवरण और बैंक स्टेटमेंट
- x. रद्द किए गए चेक की प्रतिलिपि
- xi. बोलीदाता के बैंकों से संदर्भ मांगने का प्राधिकार।
- xii. एक ऐसा घोषणापत्र जिसमें यह वचन दिया गया हो कि निविदाकर्ता किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था का जानबूझकर चूककर्ता नहीं है और कंपनी/ व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं है। किसी भी मुकदमेबाजी, वर्तमान या पिछले पांच वर्षों के दौरान, जिसमें बोलीदाता शामिल है, संबंधित पक्षों और विवादित राशि के बारे में जानकारी।
- xiii. यह दर्शाने वाला दस्तावेज कि निविदाकर्ता के पास अहमदाबाद के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर एक कार्यालय/स्थानीय

प्रतिनिधि है।

- xiv. ड्राइवरों की वैध पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की प्रतियां उनके ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतियों के साथ
- xv. सेवाओं के उप-अनुबंध घटकों (यदि कोई हो) के लिए प्रस्ताव अनुबंध मूल्य के 10 (दस) प्रतिशत से अधिक की राशि है।
- xvi. आवेदक द्वारा अनुबंध के नियमों और शर्तों ('बोलीदाता को निर्देश' और निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट सामान्य और विशेष शर्तों में निहित) की स्वीकृति निविदाकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उसी की एक प्रति जमा करें।
- xvii. एनईएफटी के माध्यम से आरबीआई, अहमदाबाद के खाते में जमा की गई बयाना राशि की सूचना प्रति
- xviii. कोई अन्य दस्तावेज/सूचना जो दस्तावेजों की सूची का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसकी आवश्यकता निविदा दस्तावेज में उल्लिखित है, बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।
- xix. खंड V में उल्लिखित बीमा नीतियों की प्रतियाँ

उपर्युक्त दस्तावेजों को ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से बोलियां जमा करते समय तकनीकी बोली के साथ निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किया जाना चाहिए। निविदाकर्ता द्वारा उपरोक्त में से किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत न करने की स्थिति में, निविदा को बैंक के विवेकाधिकार पर भाग- I में अयोग्य माना जाएगा।

खंड VIII
भाग- I का मूल्यांकन (तकनीकी बोली)

योग्यता मानदंड

इस दस्तावेज़ में पहले निर्धारित पात्रता मानदंडों को तकनीकी बोली पर विचार करने के लिए पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, निम्नलिखित मानदंडों पर भी विचार किया जाएगा।

क्रम सं.	तकनीकी मूल्यांकन के मानदंड	क्या मानदंडों को पूरा किया गया है / आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हैं? (हां/ नहीं)	क्या निविदा के भाग- I को अर्हता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं	टिप्पणियां
1.	इसी तरह के कार्यों को करने का कम से कम तीन साल का अनुभव			
2.	पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुबंध के अनुमानित व्यय का कम से कम 30 प्रतिशत का न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार - लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित होना चाहिए			
3.	सकारात्मक निवल मूल्य - बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए			
4.	क्या वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट है?			
5.	क्या परिवहन वाहनों के चालकों का चरित्र और पूर्ववृत्त पुलिस द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किया गया है?			
6.	क्या निविदाकर्ता का नाम आरबीआई या राज्य/ केंद्र सरकार के किसी विभाग द्वारा कभी काली सूची में रहा है ?			
7.	क्या फर्म या उसके निदेशकों के खिलाफ कोई कार्यवाही किसी अदालत में लंबित है?			
8.	क्या निविदा दस्तावेज़ में दिए गए अनुबंध के नियम और शर्तें, विशेष रूप से निविदा दस्तावेज़ की धारा V में, निविदाकर्ता को स्वीकार्य हैं? यदि हाँ, तो प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित उसकी एक प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाए।			
9.	क्या निविदाकर्ता द्वारा बयाना जमाराशि ₹98,000/- बैंक को प्रदान की गई है ? यदि हाँ, तो एनईएफटी विवरण की एक प्रति संलग्न करें।			

उपरोक्त मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करने वाली निविदाएं ही निविदा के भाग- I में अर्हता प्राप्त करेंगी और भाग- II यानी वित्तीय बोली के लिए पात्र होंगी। हालांकि, बैंक अपने विवेकाधिकार के तहत किसी भी मानदंड को शिथिल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो सभी पर लागू होगा।

खंड IX - भाग II - मूल्य बोली

भारतीय रिज़र्व बैंक निर्गम विभाग अहमदाबाद कार्य का नाम: सिक्कों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में पूरी तरह से कवर की गई बंद कैश वैन/ कंटेनर ट्रक/ वाहनों की आपूर्ति						
विक्रेता का नाम						
मद संख्या।	सामग्री का विवरण	मात्रा /प्रति वर्ष (ए)	इकाई	दर (रु.) (बी)	राशि (रु.) (सी) = ए * बी	वेटेज (100%)
(क)	स्थानीय परिवहन के लिए 9 मीट्रिक टन ट्रक/ वाहन शुल्क	7,000	किलोमीटर	केवल MSTC पोर्टल पर भरना है।		20%
(ख)	बाहरी स्टेशन के लिए 9 मीट्रिक टन ट्रक/वाहन शुल्क	35,000	किलोमीटर			60%
(ग)	स्थानीय परिवहन के लिए 12 मीट्रिक टन ट्रक/वाहन शुल्क	4,000	किलोमीटर			10%
(घ)	बाहरी स्टेशन के लिए 12 मीट्रिक टन ट्रक/वाहन शुल्क	20,000	किलोमीटर			10%
कुल						

उपरोक्त मदों के लिए निविदाकर्ता द्वारा दी जाने वाली दरों को दी गई तालिका के अनुसार भारित किया जाएगा और समग्र दरों पर पहुंचने के लिए भारित दरों को जोड़ा जाएगा। निविदाकारों की समग्र दरों को न्यूनतम (एल 1) दर निविदाकर्ता पर पहुंचने के लिए बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा।

नोट:

- 1) उपरोक्त शुल्क जीएसटी से अलग हैं, लेकिन इसमें अन्य सभी कर, लेवी और शुल्क जैसे टोल, बीमा, रोड टैक्स, ड्राइवर भत्ता, नाइट हॉल्ट शुल्क, सुरक्षा व्यय आदि शामिल हैं।
- 2) काम की मात्रा केवल संदर्भ के लिए है, वास्तविक कार्य भिन्न हो सकता है।
- 3) शुल्क केवल लोडेड कंटेनर/ ट्रक की आवाजाही से जुड़ी यात्रा के लिए देय हैं।
- 4) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त किसी भी मद के संबंध में 'शून्य' का उल्लेख न करें अथवा किसी भी मद को खाली न छोड़ें, ऐसे मामले में बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- 5) कार्य की मदों के लिए दरें जो यहां सूचीबद्ध नहीं की गई हैं और संविदा में सहमत नहीं हैं, बैंक द्वारा पात्र बोलीदाता के परामर्श से तय की जाएंगी।

(लगाई गई वित्तीय बोली का प्रोफार्मा केवल आपके संदर्भ के लिए है। वित्तीय बोली केवल एमएसटीसी ई-टेंडरिंग पोर्टल में भरी जाएगी)

अनुलग्नक - ए (दस्तावेजों का प्रारूप)

अनुसूची A - प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रारूप

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
गांधी पुल के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद 380014 (गुजरात)

प्रिय महोदय,

कार्य का नाम-

प्रदर्शन सुरक्षा जमाराशि के लिए बैंक गारंटी /

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद का केंद्रीय कार्यालय शाहिद भगत सिंह रोड, मुंबई में है, (इसके बाद "आरबीआई" कहा गया है) ने उपर्युक्त शीर्षक वाली परियोजना के लिए _____ (ठेकेदार का नाम) (जिसे इसके बाद "उक्त ठेकेदार" कहा गया है) को उक्त कार्य (जिसे इसके बाद 'ठेका' कहा गया है) प्रदान किया है, जिसमें अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और वारिस भी शामिल होंगे)।

और जबकि ठेकेदार आरबीआई को एक निष्पादन सुरक्षा जमा के रूप में **₹2,00,00,000/-** (रुपये दो करोड़

केवल) (आंकड़ों और शब्दों में राशि) की कुल राशि प्रस्तुत करने के लिए उक्त अनुबंध के तहत बाध्य है अनुबंध में निहित नियमों और शर्तों की उक्त ठेकेदार द्वारा उचित पूर्ति के लिए। हम, _____ (बैंक का नाम), (जसे इसके बाद "बैंक" कहा गया है), मैसर्स _____ के अनुरोध पर _____ (ख) यदि हां, तो एतद्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को अनुबंध के नियमों और शर्तों की उचित पूर्ति के लिए प्रदर्शन गारंटी के रूप में उस राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं जो **₹2,00,00,000/-** की सीमा में होगी।

अब यह गारंटी इस बात की गवाह है कि

हम (बैंक का नाम) एतद्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से सहमत हैं और वचन देते हैं, यह निर्धारित करते हैं कि यदि भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ठेकेदार ने अनुबंध की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, तो ऐसा निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त ठेकेदार पर भी बाध्यकारी होगा; भारतीय रिज़र्व बैंक की मांग पर हम भारतीय रिज़र्व बैंक को बिना किसी विलंब के भुगतान करेंगे।

₹. _____ (रुपये _____ मात्र) या उससे कम कोई भी राशि जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मांगी जा सकती है। हमारी गारंटी को उक्त अनुबंध के तहत ठेकेदार के दायित्वों के उचित प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन गारंटी राशि के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देयता की राशि से अधिक नहीं होगी ₹ _____ (रुपये _____ मात्र) ।

हम यह भी स्वीकार करने और पुष्टि करने के लिए सहमत हैं कि राशि ₹ _____ (रुपये _____) से अधिक नहीं है जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, हमारे द्वारा बिना किसी संघर्ष/ विरोध के भुगतान किया जाएगा, केवल लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक से मांग किए जाने पर जिसमें कहा गया है कि राशि उनके लिए देय है और हम कोई और सबूत या साक्ष्य नहीं मांगेंगे और आरबीआई से नोटिस निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा किसी भी संबंध में या तरीके से पूछताछ नहीं की जाएगी।

बैंक किसी भी न्यायालय, अधिकरण या उससे संबंधित मध्यस्थों के समक्ष लंबित किसी भी वाद या कार्यवाही में ठेकेदार द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद/ मतभेद के बावजूद भारतीय रिज़र्व बैंक को इस प्रकार की मांग की गई किसी भी धनराशि का भुगतान करेगा और इस गारंटी के तहत दायित्व पूर्ण और स्पष्ट होगा। हम पूर्वोक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और ठेकेदार के बीच समझौते या समझौतों या अन्य समझ से स्वतंत्र होगा।

4. इस गारंटी को हमारे द्वारा आरबीआई की लिखित सहमति के बिना रद्द नहीं किया जाएगा।

हम इसके द्वारा आगे सहमत हैं कि -

ए) उक्त करार की शर्तों को लागू करने में या उक्त संविदा में निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन में या इसके तहत या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ठेकेदार को किसी भी समय प्रदान करने या उसके संबंध में किसी अन्य मामले को दिखाने में भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से कोई भी देयता या कमीशन, हमें किसी भी तरह से और इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा। यह गारंटी केवल ठेकेदार द्वारा उनके दायित्वों के प्रदर्शन से और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारा ₹ _____ (रुपये केवल) से अनधिक राशि का भुगतान करके दी जाएगी।

बी) इन प्रावधानों के तहत हमारी देयता ₹ _____ (रुपये केवल) के योग से अधिक नहीं होगी।

सी) इस समझौते के तहत हमारा दायित्व हमारे उक्त घटकों/ ग्राहकों की ओर से किसी भी दुर्बलता या अनियमितता या उसके तहत उनके दायित्वों या हमारे उक्त घटकों के गठन के विच्छेदन या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा।

डी) इन प्रावधानों के तहत हमारी देयता तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि इन प्रावधानों को नवीनीकृत नहीं किया जाता जैसा कि ऊपर वर्णित है या उस दिन जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का अनुपालन करते हैं, जिसके बारे में केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र जो भी बाद में हो, निर्णायक प्रमाण माना जाएगा। जब तक कि हमारे खिलाफ कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई दायर नहीं की जाती है या किसी भी विस्तारित अवधि में, इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकारों को जब्त कर लिया जाएगा और हमें यहां उल्लिखित प्रावधानों के तहत हमारे सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा। जिसके साक्षी के रूप में बैंक के मैने/ हमने ----- के ----- दिन (महीना) (वर्ष) इस गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं और मुहर लगा दी है, को इसके साथ विधिवत अधिकृत किया जा रहा है।

के लिए और की ओर से (बैंक का नाम)

अधिकृत बैंक के आधिकारिक नाम के हस्ताक्षर:

पदनाम बैंक की मुहर

उपर्युक्त द्वारा बैंक की ओर से हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित किया गया:

गवाह 1 के हस्ताक्षर _____ नाम _____ पता _____

(नोट: इस गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार सत्यापित किए जाएंगे)।

अनुसूची बी - भारत के साथ देश की भूमि सीमा साझा करने के संबंध में बोलीदाता द्वारा उपक्रम / घोषणा / प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा

(बोलीदाताओं द्वारा अपने पत्रशीर्ष पर विधिवत मुहर और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया जाना है)

सेवा मे
क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद

कार्य का नाम:

मैं/ हम (नाम और पता, बोलीदाता के स्थान के देश सहित) ने सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 23 जुलाई 2020 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) F.No 6/18/2019- पीपीडी की सामग्री और इसके बाद के आदेशों/ संशोधनों को को पढ़ा और समझा है जो किसी ऐसे देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध लगती है, जो देश भारत के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है।

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि _____(बोलीदाता का नाम)कि

- i) हम भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी देश से नहीं है,
- ii) या भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है और सक्षम प्राधिकारी के यहाँ पंजीकृत है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है,
- iii) या भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी देश से है जहां भारत सरकार ने ऋण की सुविधा प्रदान की है,
- iv) या भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी ऐसे देश से है जहां भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है। (उपरोक्त में से जो भी लागू नहीं है, उसे काट दें।)

3. मैं /हम आगे यह भी प्रमाणित करते हैं कि(बोलीदाता का नाम) मैं/ हम इस संबंध में सभी आवश्यकताएं और उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन और इसके बाद के आदेशों/ संशोधन के प्रावधान के तहत विचार किए जाने के लिए पात्र है। हम यह वचन देते हैं कि उन अनुबंधों के मामले में जहां हमें बैंक/ आरबीआई द्वारा उप-अनुबंध करने की अनुमति होने पर भी मैं/ हम _____(बोलीदाता का नाम) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के ठेकेदार कोई कार्य सौंपने के लिए उप-अनुबंध नहीं करेंगे जब तक कि ऐसा ठेकेदार उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन/आदेश में निहित सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

4. मैं/हम जानते हैं और समझते हैं कि, यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वचननामा / घोषणा / प्रमाणन / प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है, तो बैंक हमारी निविदा/ कार्य आदेश को अस्वीकार करने/ उसे समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा और बैंक कानून के अनुसार किसी भी कानूनी कार्रवाई को शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना जमा राशि / प्रदर्शन बैंक गारंटी / सुरक्षा जमा को जब्त करना और/अथवा हमें भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करना शामिल है।

स्टाम्प के साथ बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम

दिनांक:

स्थान:

अनुसूची सी - संगठनात्मक विवरण

निविदाकर्ता का नाम			
क्या यह व्यक्तिगत स्वामित्व, साझेदारी या सीमित कंपनी है ?			
साझेदारी/ लिमिटेड कंपनी के गठन की तिथि			
डाक का पता	स्थानीय पता		स्थायी/पंजीकृत कार्यालय का पता
पिन कोड			
टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड के साथ)	ऑफिस	आवासीय	फैक्स
ई-मेल			

स्थान:
दिनांक:
बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

अनुसूची डी - सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट

(किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के पत्र शीर्ष पर)

संदर्भ संख्या : दिनांक :

जो भी संबन्धित है

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं अभिलेखों के अनुसार, **मेसर्स/**
(बोलीदाता का नाम एवं पूर्ण पता), जो हमारी बैंक के ग्राहक हैं, सम्मानित प्रतिष्ठा रखते हैं तथा ₹ (राशि शब्दों में
.....) तक के आदेशों का निष्पादन करने में सक्षम हैं।

मेसर्स वर्ष से वर्तमान तिथि तक हमारे ग्राहक हैं तथा उन्हें हमारे बैंक द्वारा विभिन्न सुविधाओं के
अंतर्गत नीचे दिए अनुसार सीमाएँ (Limits) प्रदान की गई हैं:

.....

.....

यह प्रमाण पत्र ग्राहक के विशिष्ट अनुरोध पर जारी किया जाता है।

भवदीय

(बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर)

अनुसूची ई - पंजीकरण विवरण

क्रम सं.	पंजीकरण का प्रकार	पंजीकरण संख्या	पंजीकरण की तिथि
1	आयकर- पैन		
2	आयकर – टैन (टीडीएस के लिए)		
3	जीएसटी नंबर		
4	दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम		
5	पीएफ/ ईपीएफ		
6	किसी अन्य प्रकार का पंजीकरण		
7	क्या ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन*) केन्द्रीय नियम, 1971 और कोई अन्य कानूनी प्रावधान आपकी फर्म पर लागू?		
8	क्या आपके पास अनुबंध श्रम (आर एंड ए) अधिनियम 1970/71 की धारा 12 (1) के तहत लाइसेंस है, यदि हां, तो लाइसेंस संख्या आदि का विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है।		
9	ईएसआईसी पंजीकरण विवरण		

मैं/ हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/ हमने उपरोक्त शर्तों को पढ़ और समझ लिया है।

स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

अनुसूची एफ - ग्राहकों की सूची

(जिनके लिए पिछले 3 वर्षों में इसी तरह का कोई काम किया गया हो)

क्रम संख्या	विवरण	ग्राहक (1)	ग्राहक (2)	ग्राहक (3)
1.	नाम			
2.	पता			
3.	ईमेल आईडी			
4.	संपर्क नंबर			
5.	कार्य का संक्षिप्त विवरण			
6.	अनुबंध प्रदान करने की तिथि (कृपया अनुबंध प्रदान करने संबंधी पत्र संलग्न करें)			
7.	ग्राहक से प्रमाण पत्र (धारा V के "अनुलग्नक" के अनुसार संलग्न किया जाना है)			

मैं /हम एतद्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद को अपने किसी भी ग्राहक से संदर्भ लेने के लिए अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

स्थान: दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

अनुसूची जी - बैंकों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	बैंक 1	बैंक 2 इसे इसी क्रम में आगे बढ़ाया जा सकता है।
1.	बैंक का नाम और पता		
2.	बैंक से प्राप्त सुविधाओं का विवरण (ऋण सुविधाएं, यदि कोई हो)		
3.	संपर्की व्यक्ति		
4.	ईमेल आईडी		
5.	टेलीफ़ोन का नंबर		
6.	फैक्स नंबर		

मैं/हम एतद्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद को अपने किसी भी बैंकर से संदर्भ लेने के लिए अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

स्थान: दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

अनुसूची एच - सार्वजनिक संस्थानों (संस्थानों) द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के संबंध में उपक्रम

(निविदाकर्ता द्वारा अपने लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

काम का नाम:

1. मैं/ हम _____ (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता हूँ कि,

क) भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/ संस्था द्वारा _____ (बोली जमा करने की अंतिम तिथि) को मैं/ हम प्रतिबंधित/ निलंबित/ काली सूची में नहीं डाले गए हैं।

ख) मैं/ हमने _____ (बोली जमा करने की अंतिम तिथि) तक पिछले तीन वर्षों में भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/ संस्था के साथ सत्यनिष्ठा संहिता (जैसा कि निविदा में उल्लिखित है) के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है।

ग) हम बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे, यदि मैं/ हम भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/ संस्था द्वारा या उससे पहले या उससे पहले प्रतिबंधित / निलंबित / काली सूची में डाल दिए जाए।

2. मैं/हम _____ (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता है कि, मैं/हम _____ (भारत या किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्थान का नाम और पता) द्वारा प्रतिबंधित/ निलंबित/ काली सूची में डाला गया है और यह _____ (तारीख) तक प्रभावी है। आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए इस तरह के पत्र की एक प्रति संलग्न है।

(बोली लगाने वाले की मुहर और हस्ताक्षर)

दिनांक:

स्थान:

(नोट: उपरोक्त दो घोषणाओं में से जो लागू नहीं है उसे काट दें।)